छठी कक्षा के लिए नागरिक शास्त्र की पाठ्यपुस्तक

दि.सी. मुले
अ.च. शर्मा

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्
NATIONAL COUNCIL OF EDUCATIONAL RESEARCH AND TRAINING

जून 1987
ज्येष्ठ 1909
P.D. 75 T—RNB

प्रकाशन सहयोग

सम्पादन	उत्पादन
प्रभाकर द्विवेदी : मुख्य सम्पादक	सी.एन. राव : मुख्य उत्पादन अधिकारी
दिनेश सक्सेना : सम्पादक	सुरेन्द्र कान्त शर्मा : उत्पादन अधिकारी
रामनिवास भारद्वाज : सम्पादन सहायक	टी.टी. श्रीनिवासन : सहायक उत्पादन अधिकारी
	राजेन्द्र चौहान : उत्पादन सहायक

चित्र एवं सज्जा
सुबीर राय

मूल्य : रु. 4.75

प्रकाशन विभाग में सचिव, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्, श्री अरविन्द मार्ग, नई दिल्ली 110 016 द्वारा प्रकाशित तथा प्रिंट ऐड फोटो सैटर द्वारा फोटो सैट होकर, राकेश प्रेस, ए-7, नारायणा इंडस्ट्रियल एरिया, फेज़ II, नई दिल्ली 110 028 में मुद्रित।

प्राक्कथन

कक्षा छह के लिए लिखी गई नागरिक शास्त्र की पाठ्यपुस्तक *हमारा नागरिक जीवन* नए पाठ्यक्रम पर आधारित है जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 को दृष्टि में रखते हुए विकसित किया गया था। यह पुस्तक माध्यमिक स्तर पर नागरिक शास्त्र की पाठ्यपुस्तक माला की प्रथम कड़ी है।

यह पुस्तक मुख्यत: स्थानीय संस्थाओं तथा नागरिक जीवन के विषय में जानकारी देती है। स्थानीय संस्थाएँ जैसे ग्राम पंचायतें, नगरपालिकाएँ, सहकारी समितियाँ आदि हमारे प्रजातंत्र के ऐसे आधार हैं जिनमें संपूर्ण जनता सक्रिय रूप से भाग लेती है। आम नागरिक का इन संस्थाओं तथा जिला प्रशासन के अधिकारियों से प्राय: संपर्क बना रहता है, इसलिए इन संस्थाओं के विषय में आधारभूत ज्ञान सरल भाषा में दिया गया है। इन संस्थाओं से संबंधित विवादास्पद प्रश्नों को जहाँ तक संभव हो सका है इस पुस्तक में नहीं उठाया गया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति व कार्यक्रम योजना में दिए गए कुछ केन्द्रिक शिक्षाक्रम के क्षेत्रों का समावेश इस पुस्तक में उपयुक्त रूप से किया गया है।

सामाजिक विज्ञान एवं मानविकी शिक्षा विभाग के प्रो. दि.सी. मुले और प्रवक्ता श्री अमीचंद शर्मा ने इस पुस्तक की प्रथम पाण्डुलिपि तैयार की। इसी विभाग की श्रीमती सुप्ता दास ने टीका और शब्द-संग्रह तथा प्रयोगात्मक क्रियाओं को तैयार किया है। पाण्डुलिपि पर स्कूल अध्यापकों तथा विषय विशेषज्ञों द्वारा एक कार्यशाला में पूरा विचार-विमर्श किया गया। कार्यशाला में दिए गए सभी वांछनीय सुझावों व टिप्पणियों के अनुसार पाठ्य सामग्री में परिवर्तन किया गया है। परिषद् इन सभी के योगदान के लिए आभारी है। पाण्डुलिपि पर सामाजिक विज्ञान एवं मानविकी शिक्षा विभाग के सदस्यों ने एक बार फिर से चर्चा की और वांछनीय संशोधन किए।

हम श्रीमती आशा गुप्ता के भी आभारी हैं जिन्होंने पाण्डुलिपि का हिन्दी में रूपांतर किया है। इस पुस्तक के बारे में पाठकों के सुझाव एवं समीक्षाएँ प्राप्त कर परिषद् आभारी होगी।

पी.एल. मल्होत्रा
निदेशक
राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्

नई दिल्ली

विषय-सूची

1
अध्याय
हमारा नागरिक जीवन

हम सब भारत के नागरिक

हम सब भारत के निवासी हैं। भारत के निवासी होने के कारण हम सब भारत के नागरिक हैं। प्रत्येक चीनी चीन देश का नागरिक होता है। प्रत्येक जापानी जापान देश का नागरिक होता है। उसी तरह प्रत्येक भारतीय भारत का नागरिक कहलाता है। भारत हम सबका देश है। हमारे देश में लगभग साढ़े पाँच लाख गाँव और ढाई हज़ार शहर हैं। इन गाँवों और शहरों में हम सब सामूहिक रूप से रहते हैं।

तुम अपने परिवार के साथ रहते हो। तुम्हारे माता-पिता तुम्हारे साथ रहते हैं। हो सकता है तुम्हारे भाई-बहिन, दादा-दादी, चाचा-चाची भी तुम्हारे साथ ही रहते हों। तुम्हारे परिवार के सभी सदस्य एक दूसरे के साथ सहयोग करते होंगे। तुम्हारे पिता किसी दफ्तर में काम करते होंगे। तुम्हारी माता घर की देखभाल करती होंगी। हो सकता है कि वे घर से बाहर भी काम करती हों। इसी प्रकार तुम्हारे परिवार के अन्य सदस्य भी कुछ न कुछ काम करते हैं। वे किस प्रकार एक दूसरे की मदद करते हैं? तुम इस प्रश्न का उत्तर बड़ी आसानी से दे सकते हो। तुम यह सब प्रतिदिन देखते हो। तुम्हारे घर के पास और भी परिवार रहते हैं। वे तुम्हारे पड़ोसी हैं। वे कई प्रकार से तुम्हारी सहायता करते हैं। नाई, धोबी, दुकानदार, दूधवाला और ऐसे ही अन्य लोग एक दूसरे की सहायता करते हैं। तुम्हारे स्कूल में भी प्रधानाध्यापक, शिक्षक, दफ्तर के कर्मचारी, पुस्तकालय अध्यक्ष, चपरासी इत्यादि स्कूल को चलाने में सहयोग करते हैं। हम अपने परिवार, पड़ोस, स्कूल, कस्बों अथवा शहरों में अनेक प्रकार के काम करते हैं। हम एक दूसरे के साथ सहयोग करते हैं। हम एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं। हम एक दूसरे के सुख-दुख में सम्मिलित होते हैं। हमारा जीवन इस तरह चलता है। यही हमारा सामाजिक जीवन है। तुम्हारे पड़ोस, गाँव अथवा शहर में रहने वाले लोग ही एक समाज का निर्माण करते हैं। एक साथ मिल कर रहने और एक दूसरे की सहायता करने से हमारा जीवन बेहतर और सुविधाजनक बनता है। कुटुंब, स्कूल और पड़ोस में लोगों की जो गतिविधियाँ चलती हैं, उन्हें हम नागरिक जीवन कहते हैं। नागरिक जीवन सहयोग पर निर्भर करता है। जब अनेक लोग एक साथ रहते हैं

तो उन्हें अपनी क्रियाओं को नियमित करने के लिए कुछ नियमों की आवश्यकता पड़ती है।

> क्या तुम ऐसी स्थिति की कल्पना कर सकते हो जब लोग एक दूसरे की मदद करना बन्द कर दें?

जीवन सहयोग पर निर्भर करता है

समाज में एक साथ मिल कर रहने के लिए हमें एक दूसरे के सहयोग की आवश्यकता पड़ती है। हमारे जीवन की कुछ आवश्यकताएँ होती हैं। हमें खाने के लिए भोजन, पहनने के लिए वस्त्र और रहने के लिए मकान चाहिए। इन सारी आवश्यकताओं को हम स्वयं पूरा नहीं कर सकते। इसलिए हमें अपने माता-पिता, पड़ोसियों, ग्रामवासियों तथा दुकानदारों आदि की सहायता लेनी पड़ती है। प्रत्येक मनुष्य को अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए दूसरों पर निर्भर रहना पड़ता है

> तुम अपने परिवार के सदस्यों, अपने अध्यापकों और अपने सहपाठियों के साथ किस प्रकार सहयोग करते हो?

हमारे जीवन का स्वरूप बदलता रहता है

तुमने इतिहास में 'आदिम मानव' के बारे में पढ़ा होगा। तुम जानते ही हो कि आदिम मानव भोजन की खोज में जंगलों में इधर-उधर भटकता फिरता था। धीरे-धीरे उसने खेती करना सीखा और वह एक जगह स्थाई तौर पर रहने लगा। प्राचीन काल में लोगों का जीवन सरल था। उनकी आवश्यकताएँ बहुत कम थीं। वे पास की नदी या झील से पीने के लिए पानी प्राप्त कर

चित्र 1 : कुटुंब में हम नागरिकता के कई गुण सीखते हैं।

लेते थे। गाँव में जो कुछ अनाज उत्पन्न होता था वह उनके भोजन के लिए पर्याप्त था। आस-पास मिलने वाली मिट्टी, फूस और लकड़ी आदि से वे अपने लिए घर बना लेते थे। आजकल गाँवों और शहरों में पीने का पानी प्रायः नलों द्वारा प्राप्त होता है। खाने की वस्तुएँ देश के भिन्न-भिन्न भागों से आती हैं। इसी प्रकार, मकानों के लिए पक्की ईंटें, पत्थर, लोहा और सीमेंट का उपयोग किया जाता है। आज का मनुष्य केवल भोजन, वस्त्र और मकान ही नहीं चाहता, वह शिक्षा, स्वास्थ्य और मनोरंजन की सुविधाएँ भी चाहता है। उसकी आवश्यकताएँ दिन-प्रतिदिन बढ़ती जाती हैं। इनकी पूर्ति के लिए कई मनुष्यों के सहयोग की आवश्यकता पड़ती है। उदाहरण के लिए, रेल, डाक, तार, बिजली आदि के प्रबन्ध के लिए लाखों कर्मचारी मिलकर हमारी सहायता करते हैं। इस सहायता के बल पर हमारा जीवन दिन-प्रतिदिन सुधरता जाता है।

> क्या तुम पता लगा सकते हो कि एक चिट्ठी अपने पते पर किस प्रकार पहुँचती है? इस काम में कितने लोग भाग लेते हैं?

एक साथ रहना

कोई भी व्यक्ति अकेला नहीं रह सकता। उसे भोजन, वस्त्र और मकान आदि की जरूरत पड़ती है। इनके अभाव में उसका जीवन असम्भव है। इन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए ही परिवार और समाज बने। हम प्रति क्षण परिवार अथवा समाज में रहते हैं। जिस तरह हर पल हम हवा अपने फेफड़ों में लेते हैं और निकालते हैं, लेकिन उसका आभास हमें नहीं होता, उसी तरह परिवार और समाज में चौबीस घंटे रहते हुए भी हमें उसका आभास नहीं होता। तुम्हारे माता-पिता और भाई-बहिन मिलकर एक परिवार कहलाते हैं। तुम अपने परिवार के एक सदस्य हो। यह परिवार तुम्हारा समाज है। तुम स्कूल में पढ़ते हो। तुम्हारे स्कूल में और भी विद्यार्थी पढ़ते हैं। तुम्हे स्कूल में अनेक अध्यापक पढ़ाते हैं। इन विद्यार्थियों और अध्यापकों को मिला कर तुम्हारे स्कूल का समाज बनता है। उसी प्रकार तुम्हारे पड़ोस, गाँव या शहर में रहने वाले लोगों को भी समाज कहते हैं। मनुष्य के लिए इकट्ठे रहना बहुत जरूरी है।

स्कूल और नागरिक जीवन

तुम्हारे स्कूल के भी कुछ नियम हैं। इन नियमों का पालन करना प्रत्येक छात्र के लिए जरूरी है। प्रत्येक छात्र को समय पर स्कूल पहुँचना होता है। यदि कोई छात्र समय पर स्कूल नहीं आता तो उसे दण्ड दिया जाता है। इसी तरह समाज में कुछ लोग नियम तोड़ते हैं। ऐसे व्यक्तियों को दण्ड देने के लिए एक संगठन की आवश्यकता पड़ती है। तुम्हारा स्कूल भी एक संगठन है। तुम्हारे प्रधानाध्यापक और शिक्षक मिल कर स्कूल के लिए नियम बनाते हैं। यदि इन नियमों का

पालन न किया जाए तो वे सज़ा भी देते हैं।

जो काम हमें नियमपूर्वक करने होते हैं, उसे हम कर्तव्य भी कह सकते हैं। कुछ ऐसे काम होते हैं, जिन्हें करना तुम्हारे हित में होता है। समय पर स्कूल पहुँचना, स्कूल में दिए गए काम को पूरा करना और मन लगा कर पढ़ना तुम्हारी भलाई के लिए है। इसलिए ये सब तुम्हारे कर्तव्य हैं। तुम्हारे स्कूल में खेल-कूद, संगीत, वाद-विवाद आदि कार्यक्रम भी होते होंगे। इनमें भाग लेना भी तुम्हारा कर्तव्य है। इस प्रकार एक स्कूल के लिए तीन बातों का होना जरूरी है– एक स्कूल के नियमों का पालन करना, दूसरे शिक्षकों और अन्य विद्यार्थियों की उनके काम में सहायता करना और तीसरे अपनी योग्यता के अनुसार स्कूल के समस्त कार्यक्रमों में रुचि लेना।

परिवार और नागरिक जीवन

परिवार को नागरिक जीवन की सबसे महत्त्वपूर्ण इकाई माना जाता है। नागरिक जीवन से सम्बन्धित अनेक बातें तुम परिवार में सीख सकते हो। तुम्हारे परिवार में अनेक छोटे-बड़े निर्णय लिए जाते हैं जैसे कि तुम्हें अथवा तुम्हारी छोटी बहिन को स्कूल भेजना है अथवा नहीं? उन्हें किस स्कूल में प्रवेश दिलाना है, उनके लिए किस प्रकार के कपड़े सिलवाने हैं? किस दर्जी से सिलवाने हैं, इत्यादि। प्रतिदिन इस तरह के अनेक निर्णय लिए जाते हैं। शायद ये बातें तुम्हारे माता-पिता निश्चित करते होंगे। लेकिन, परिवार के इन निर्णयों में रुचि लेना और यदि संभव हो तो उनमें भाग लेना, तुम्हारा कर्तव्य है। इसी तरह अपने माता-पिता, भाई-बहिन के कामों में मदद करना भी तुम्हारा कर्तव्य है।

गाँव, शहर और नागरिक जीवन

तुम्हारे पड़ोस, गाँव या शहर में अनेक परिवार रहते हैं। एक गाँव या शहर में अनेक व्यक्ति रहते हैं। जब बहुत से लोग एक जगह पर रहते हैं तो कई प्रकार की समस्याएँ पैदा हो सकती हैं। इन समस्याओं में सड़कों को बनाने और उनकी मरम्मत का प्रश्न, बिजली या रोशनी का प्रश्न इत्यादि. सम्मिलित हैं। इन सभी समस्याओं को हल करने के लिए नागरिक एक संगठन बनाते हैं। इस संगठन को हम **स्थानीय स्वशासन** कहते हैं। तुम भी इन समस्याओं को हल करने में सरकार की मदद कर सकते हो। उदाहरण के लिए, यदि तुम साफ़ और स्वच्छ रहोगे और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखोगे, तो तुम्हारे गाँव या शहर में कई बीमारियों को फैलने से रोका जा सकता है। यदि घर का कूड़ा-करकट सड़क पर न फेंका जाए, तो तुम्हारे गाँव या शहर की सड़कों को साफ़ रखने में मदद मिल सकती है।

परिवार, स्कूल, गाँव और शहर के जीवन में तुम्हारा बहुत महत्त्व है। इन सबके लिए तुम बहुत कुछ कर सकते हो। लेकिन इसके लिए तुम्हें अभी से तैयारी

करनी होगी। पहले तुम्हें अपने गाँव व शहरों की समस्याओं के विषय में जानना होगा। इन समस्याओं का समाधान स्थानीय शासन किस तरह करता है। इसकी जानकारी तुम्हें बढ़ानी होगी। इस पुस्तक को पढ़ कर तुम ये सब बातें जान जाओगे।

कुछ करने को

तुम अपनी कक्षा में एक उत्साही खेल खेल सकते हो। इसके लिए पूरी कक्षा को तीन भागों में बाँटना होगा। इन भागों को कोई भी नाम दिया जा सकता है— चाहे वे भारत के महापुरुषों के नाम हों, ऐतिहासिक नगरों के नाम हों अथवा प्राकृतिक वस्तुओं के नाम हों।

प्रत्येक समूह एक सप्ताह के लिए कुछ जिम्मेदारियाँ उठाएगा। ये जिम्मेदारियाँ इस प्रकार की हो सकती हैं।

चित्र 2 : पास-पड़ोस को स्वच्छ रखने में हम अपने स्कूल और स्थानीय शासन की मदद कर सकते हैं।

1. कक्षा के सामान की सलामती और सुरक्षा
(फर्नीचर और दीवार पर लगी अन्य वस्तुओं की देखभाल)
2. श्यामपट, खिड़कियों के शीशों, दरवाज़ों, मेज-कुर्सियों, फर्श इत्यादि की सफाई
3. कक्षा में अनुशासन बनाए रखना, विशेषकर अध्यापक की अनुपस्थिति में

कक्षा में एक समिति का गठन किया जा सकता है और पदाधिकारियों को कुछ काम सौंपे जा सकते हैं जैसे :

1. कक्षा-प्रशासक --सामान्य निरीक्षण और मार्गदर्शन
2. कक्षा-मानीटर --शिक्षक की अनुपस्थिति में कक्षा की देखभाल करना व अनुशासन बनाए रखना
3. स्वच्छता-अधिकारी --कक्षा की सामान्य सफाई का ध्यान रखना
4. सुरक्षा-अधिकारी --कक्षा के सामान की सुरक्षा की जिम्मेदारी उठाना ;

अभ्यास

1. कोई एक उदाहरण देकर बतलाओ कि आपसी सहयोग से हमारा जीवन किस तरह आसानी से चलता है ।
2. स्कूल के प्रति तुम्हारे क्या कर्तव्य हैं ?
3. तुम अपने परिवार के सदस्यों की मदद किस तरह कर सकते हो ? कोई दो उदाहरण दो ।
4. हमारा वर्तमान जीवन भूतकालीन जीवन से किस तरह भिन्न है ?
5. एक साथ रहना क्यों जरूरी है ?

2

अध्याय

हमारे गाँवों का बदलता स्वरूप

हमारे गाँव

हमारा देश गाँवों का देश हैं। हमारे देश के लगभग 76 प्रतिशत लोग गाँवों में रहते हैं। तुम पहले पढ़ चुके हो कि भारत में साढ़े पाँच लाख से भी अधिक गाँव हैं। इनमें से केवल कुछ गाँव शहरों और कस्बों के पास बसे हैं। अधिकतर गाँव शहरों से दूर हैं।

भारतीय गाँव खेतों से घिरे हुए हैं। अधिकतर गाँव बिना किसी योजना के बसे हैं। खेती ग्रामवासियों का मुख्य व्यवसाय है। इसलिए गाँव में रहने वालों में अधिकतर किसान होते हैं। किसानों के अलावा गाँव में कुम्हार,बढ़ई, लुहार, धुनिया, नाई आदि भी रहते हैं। अधिकतर ग्रामवासियों के मकान मिट्टी के बने होते हैं और उन पर फूस के छप्पर होते हैं। इन मकानों में एक या दो कमरे होते हैं। इनमें गुसलखाने आदि की व्यवस्था नहीं होती। अधिकतर गाँव वाले पशु पालना पसन्द करते हैं। गाँव वालों का रहन-सहन सादा होता है।

गाँवों का पिछड़ापन : स्वतन्त्रता से पहले, हमारे गाँव बहुत पिछड़े हुए थे। अंग्रेज़ सरकार ने इनके सुधार और प्रगति की ओर कोई ध्यान नहीं दिया। स्वतन्त्रता के पहले, गाँवों में **जमींदारी प्रथा** थी। यह प्रथा गाँव की तरक्की में बाधक सिद्ध हुई। जमींदार लोग केवल अपने स्वार्थ की ही बात सोचते थे। वे किसानों की गरीबी का अनुचित लाभ उठाते थे। **जमींदारी प्रथा** गाँव में गरीबी का मुख्य कारण थी।

स्वतन्त्रता से पहले गाँवों में सिंचाई के आधुनिक साधन उपलब्ध नहीं थे। कई जगह चरसा की सहायता से सिंचाई होती थी या फिर कुओं से पानी खींचकर सिंचाई की जाती थी। बिजली की मोटर से चलने वाले पम्पों की संख्या नहीं के बराबर थी। ग्रामवासियों के सोचने का ढंग भी बहुत पुराना था। वे वैज्ञानिक दृष्टिकोण से परिचित न थे। अच्छे बीज और खाद का तो किसानों को पता ही न था। केवल कुछ भाग्यशाली गाँव ही सड़कों द्वारा शहर से जुड़े हुए थे। लोग पैदल या बैलगाड़ी से ही एक गाँव से दूसरे गाँव जा सकते थे। वर्षा के दिनों में इन गाँवों का सम्बन्ध आस-पास के गाँवों से टूट जाता था।

कुछ ही गाँवो में प्राइमरी स्कूल थे। हाई स्कूल और कालेज शहरों में ही थे। ग्रामवासियों को इलाज के लिए हकीमों और वैद्यों पर निर्भर रहना पड़ता था। मनोरंजन के लिए कुछ लोग अखाड़ों में चले जाते थे और कुछ कबड्डी खेलते थे, टेलिविज़न की तो बात ही क्या, गाँव वालों ने रेडियो और ट्रांजिस्टर तक नहीं देखा था।

गरीबी, निरक्षरता, बीमारियां और अंध विश्वास हमारे गाँव की प्रमुख समस्याएँ हैं। ये गाँवों के विकास में सबसे बड़ी बाधाएँ हैं। स्वतन्त्रता के बाद हमारी सरकार ने गाँवों के विकास की ओर विशेष ध्यान दिया।

गाँवों की प्रगति और विकास

स्वतन्त्रता के बाद हमारे गाँवों की स्थिति में सुधार हुआ है। आज हम प्रत्येक गाँव में कुछ उन्नति और विकास देखते हैं। तुम जानते ही हो कि स्वतन्त्रता से पूर्व हमारे गाँवों को अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ा। इनमें जमींदारी प्रथा सबसे बड़ी समस्या थी। आज देश में सभी राज्य सरकारों ने जमींदारी प्रथा समाप्त कर दी है।

हमारी अनेक समस्याओं का समाधान एक या दो वर्ष में सम्भव नही था। अतः इन समस्याओं के समाधान के लिए **पंचवर्षीय योजनाएँ** बनाई गईं। इन योजनाओं का उद्देश्य गाँवों का **चहुमुखी** विकास करना था। इनके अन्तर्गत ग्रामवासियों के स्वास्थ्य, पीने के लिए स्वच्छ जल, खेती की पैदावार बढ़ाने के लिए सिंचाई, अच्छे बीज, रासायनिक खाद और अच्छे औजारों, स्कूलों, अस्पतालों, डाकघरों की व्यवस्था आदि की ओर ध्यान दिया गया। इन योजनाओं की सफलता सरकार और जनता के पारस्परिक सहयोग पर निर्भर करती है।

> क्या तुम्हारे गाँव अथवा कस्बे में कोई प्राथमिक चिकित्सा केन्द्र है? इस केन्द्र में तुम्हें क्या-क्या सुविधाएँ प्राप्त होती हैं? क्या तुम्हारे क्षेत्र में पीने योग्य स्वच्छ पानी की व्यवस्था है?

हमारे देश में खेतों पर काम करने वाले अधिकांश मजदूरों के पास अपनी कोई जमीन नहीं होती। वे दूसरों के खेतों पर काम करते हैं। गाँव के जमींदार और बड़े किसान इसका अनुचित लाभ उठाते रहे हैं। वे इन मजदूरों से बेगार (बिना वेतन काम) लेते रहे और उन्हें दासता का जीवन बिताने पर मजबूर करते रहे। **बंधुआ मजदूर** वे लोग होते थे जिन्होंने जमींदार अथवा बड़े किसानों से रुपया अथवा अनाज उधार लिया हुआ हो। बदले में वे उस समय तक मजदूरी करते रहते थे जब तक कि उनका कर्ज़ न चुक जाए। अत्यधिक गरीबी के कारण ये मजदूर अपने को आज़ाद कराने में असमर्थ थे और यह गुलामी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक चलती रहती थी। सरकार ने कानून बना कर बंधुआ मजदूरी को समाप्त कर दिया है। परन्तु कुछ स्थानों में बंधुआ मजदूरी अभी

भी प्रचलित है। अब इन भूमिहीन लोगों को जमीनें दी जा रही हैं ताकि ये अपने खेतों पर काम कर सकें और देश में अन्न की उपज बढ़ा सकें। साथ ही ये वर्षों से चली आ रही गरीबी से भी छुटकारा पा सकेंगे।

कृषि सम्बन्धी उत्पादन

हमारे देश में खेती की उपज में कई गुना वृद्धि हुई है। देश के बहुत से किसान अब अच्छी खाद और बीज का उपयोग करते हैं। कई किसान पहले से अच्छे यंत्रों का प्रयोग करते हैं। देश की नदियों पर कई बड़े-बड़े बांध बनाए गए हैं जैसे **भाखड़ा नांगल, तुंगभद्रा, नागार्जुनसागर, हीराकुड** आदि। देश के अनेक भागों में लाखों नलकूप लगाए गए हैं। सिंचाई के लिए नहरों का विस्तार किया गया है। आजकल अनेक गाँवों में ट्रैक्टर, थ्रेशिंग-मशीन और अन्य यंत्रचलित उपकरणों की सहायता ली जाती है। इस प्रकार गाँवों में खेती के काम के लिए कई तरह की मशीनों का प्रयोग किया जाने लगा है।

चित्र 3 : हमारे गाँव बदल रहे हैं।

शिक्षा

शिक्षा मनुष्य के जीवन को प्रगतिशील बनाती है। शिक्षित किसान खेती के नए और वैज्ञानिक तरीकों को जान सकता है और उन्हें अपनाकर अपनी पैदावार बढ़ा सकता है। इसलिए गाँवों में शिक्षा के प्रसार को बहुत महत्त्व दिया जा रहा है। गाँवों में अनेक प्राथमिक स्कूल खोले गए हैं। प्राथमिक शिक्षा सभी बच्चों के लिए अनिवार्य और निःशुल्क घोषित कर दी गई है। जिन व्यक्तियों को बचपन में पढ़ने का मौका नहीं मिला उनके लिए **प्रौढ़ शिक्षा** की व्यवस्था

चित्र 4 : वयस्कों के लिए रात्रि-पाठशाला

की जा रही है। उनके लिए अनेक रात्रि-पाठशालाएँ खोली जा रही हैं।

स्वास्थ्य सेवा

हमारे गाँवों में शिक्षा के साथ-साथ स्वास्थ्य सेवा में भी बहुत प्रगति हुई है। गाँव में जगह-जगह दवाखाने खोले जा रहे हैं और डॉक्टर भेजे जा रहे हैं। पहले हमारे गाँवों में प्रति वर्ष हजारों व्यक्ति चेचक, हैजा जैसे रोगों से ग्रसित हो कर मृत्यू का शिकार बन जाते थे। अत: इन घातक रोगों को फैलने से रोक दिया गया है। जगह-जगह पर **परिवार-नियोजन केन्द्र** खोल दिए गए हैं ताकि हमारे देश की बढ़ती हुई आबादी को रोका जा सके।

ग्राम विकास

अनेक गाँवों को कच्ची या पक्की सड़कों द्वारा आसपास के कस्बों और नगरों से जोड़ दिया गया है। अब मोटर, बस और माल से भरे ट्रक इन गाँवों में पहुँचने लगे हैं। गाँव का माल सरलतापूर्वक शहरों में ले जाया जा सकता है और शहरों का माल गाँव में लाया जा सकता है। इससे गाँवों की आर्थिक उन्नति में बहुत मदद मिलती है। बहुत से गाँवों में डाकघर खोले गए हैं। कुछ गाँवों में बैंकों की शाखाएँ खोली गई हैं। गाँवों में किसानों की आय बढ़ाने और उनके बच्चों को रोजगार दिलाने के लिए लघु उद्योग धंधों का विकास किया जा रहा है। लघु उद्योग से क्या तात्पर्य है? मुर्गी-पालन, मधुमक्खी-पालन, टोकरी और चटाई बुनना इत्यादि कामों को लघु उद्योग कहते हैं।

> तुम्हारे क्षेत्र में सबसे अधिक लोकप्रिय लघु उद्योग कौन सा है? गाँव के लोगों को इससे क्या लाभ है ?

गाँवों का जीवन-स्तर सुधारने में **विद्युतीकरण** का विशेष महत्त्व है। यही कारण है कि सभी राज्यों का **विद्युतीकरण** किया जा रहा है। पंजाब, हरियाणा, तमिलनाडु, महाराष्ट्र इत्यादि राज्यों ने इस क्षेत्र में काफी तरक्की की है। ऊर्जा के कुछ अन्य स्रोतों का भी प्रयोग किया जाने लगा है जैसे कि **गोबर गैस** की मदद से खाना पकाया जा सकता है और गाँव की गलियों में रोशनी की जा सकती है। इसी प्रकार **पवन चक्की** की ऊर्जा से बिजली पैदा की जा सकती है। गाँवों में बिजली पहुँच जाने से खेती का उत्पादन बढ़ा है, मनोरंजन के साधन भी उपलब्ध हुए हैं। अब रेडियो पर संगीत नाटक, समाचार आदि सुने जा सकते हैं। अनके गाँवों में **दूरदर्शन-प्रोग्राम** भी देखे जा सकते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि हमारे गाँव प्रगति की ओर अग्रसर हैं और हमारे गाँवों का स्वरूप बदल रहा है। लेकिन अभी भी बहुत कुछ करना बाकी है। दूसरे उन्नत देशों की तुलना में हमारे गाँव अभी भी पिछड़े हुए हैं।

हमारे गाँवों के पिछड़ेपन को दूर करने के लिए **सामुदायिक विकास योजना** शुरू

की गई है। अगले पाठ में तुम इस योजना के बारे में विस्तार से पढ़ोगे। इसको पढ़ कर तुम जान जाओगे कि गाँवों के विकास के लिए हमारी सरकार क्या कदम उठा रही है।

कुछ करने को

तुम्हारे क्षेत्र में वृद्ध लोग भी रहते होंगे। उनमें से किसी को अपनी कक्षा में बुलाओ और यह जानकारी प्राप्त करो कि स्वतन्त्रता से पहले हमारे गाँवों की क्या स्थिति थी और अब उसमें क्या सुधार हुआ है। तुम उनसे ग्रामीण जीवन के विषय में प्रश्न पूछ सकते हो। तुम उनसे यह भी जानने का प्रयास करो कि जब वे तुम्हारी आयु के थे तब उनके गाँव की हालत कैसी थी।

अभ्यास

1. ग्रामीण जीवन के विषय में बताओ।
2. स्वतन्त्रता से पूर्व कृषि की क्या स्थिति थी?
3. किन तीन परिवर्तनों ने खेती की पैदावार बढ़ाने में मदद की है?
4. मुख्य सड़कों के साथ गाँवों को जोड़ने से क्या लाभ हुआ?
5. बिजली के आ जाने से ग्रामवासियों के जीवन में क्या-क्या परिवर्तन आए?
6. स्वतन्त्रता के बाद भारतीय ग्रामों का विकास किस तरह हुआ?
7. कृषि के विकास के लिए हमारे किसानों का पढ़ा-लिखा होना क्यों जरूरी है?

पीने का पानी दूषित और खराब हो जाता है। इस पानी को पीकर ग्रामवासी बीमार हो जाते हैं। कई लोग सफाई की ओर पर्याप्त ध्यान नहीं देते। वे गलियों और नालियों में कूड़ा-करकट फेंक देते है। इन सब से गन्दगी फैलती है। इन सब बुरी आदतों का ग्रामवासियों के स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ता है।

अपने परिवार और पड़ोस में प्रचलित अंधविश्वासों की सूची बनाओ। अपने अध्यापक और सहपाठियों के साथ इनकी चर्चा करो।

खेती की पैदावार वैज्ञानिक तरीकों को अपनाने से ही बढ़ सकती है। खेतों में फसल की किस्मों को बदलने, उसमें रासायनिक खादों का प्रयोग करने अथवा सिंचाई का अच्छा प्रबंध करने पर एक या दो की जगह तीन फसलें भी उगाई जा सकती हैं। अच्छा उन्नत बीज भी पैदावार को बढ़ाता है। फसल को बीमारी से बचाने के लिए कीटनाशक दवाइयों को छिड़कना भी आवश्यक है। अनाज को भी इन दवाइयों का इस्तेमाल करके घुन से बचाया जा सकता है। यह सब तभी संभव है जब गाँव के लोग अंधविश्वास को छोड़ दें और खेती के नए तथा वैज्ञानिक तरीके अपनाने का प्रयत्न करें। पढ़ा लिखा किसान ही एक अच्छा किसान बन सकता है।

ग्रामीण स्त्रियों की स्थिति

आज भी ग्रामीण स्त्रियों को पुरुषों की समानता प्राप्त नहीं है। उनकी दशा पिछड़ी हुई है। बहुत से लोग अपनी लड़कियों को शिक्षा के लिए स्कूलों में भेजना ही नहीं चाहते। इससे ग्रामीण जनता की उन्नति में बाधा पड़ती है। बच्चों के चरित्र निर्माण का दायित्व बहुत कुछ माताओं पर ही होता है। स्त्रियों को पिछड़ा रखना देश की सन्तान को पिछड़ा रखना हैं। स्त्रियाँ देश की जनसंख्या का आधा भाग हैं। उन्हें पिछड़ा रखना देश के आधे भाग को पिछड़ा रखना है। देश की उन्नति के महान कार्य में पुरुषों,स्त्रियों, बूढ़ों और बच्चों का समान महत्त्व है।

सामुदायिक विकास कार्यक्रम

भारतीय गाँवों के पिछड़ेपन को दूर करने के लिए **सामुदायिक विकास कार्यक्रम** बनाया गया। इसे 2 अक्तूबर, 1952 को शुरू किया गया था। पहले यह कार्यक्रम कुछ ही गाँवों में शुरू किया गया था। धीरे-धीरे यह देश के अन्य भागों में भी अपनाया गया। आज भारत के लगभग सभी गाँव इस कार्यक्रम के अन्तर्गत आते हैं।

इस कार्यक्रम को चलाने के लिए सारे देश में **सामुदायिक विकास खंड** बनाए गए हैं। इस समय सारे देश के **सामुदायिक खंडों** की संख्या लगभग 5,000 है। प्रत्येक खंड में लगभग सौ गाँव होते हैं। एक खंड की जनसंख्या लगभग 1,00,000 होती है।

सामुदायिक विकास कार्यक्रम का उद्देश्य गाँवों का विकास करना है। यह विकास तीन बातों पर निर्भर करता है। एक– अनाज

और अन्य पदार्थों के उत्पादन में वृद्धि, दो— ग्रमीण जनता का पूर्ण विकास और तीन— ग्रामीण जनता का गाँव के विकास में सहयोग। इस कार्यक्रम में इन तीनों बातों का महत्त्व दिया गया है। सामुदायिक विकास कार्यक्रम में कृषि को सबसे अधिक प्राथमिकता दी गई है।

यह कार्यक्रम ग्रामीणवासियों के जीवन-स्तर को ऊँचा उठाना चाहता हैं। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत निम्नलिखित कार्यों की ओर ध्यान दिया जाता है।

(क) अच्छे बीज, खेती करने के लिए नए औज़ारों, अच्छी नस्ल के पशुओं तथा खाद इत्यादि का प्रयत्न।
(ख) सिंचाई के साधनों का विकास।
(ग) गाँव में फल, सब्जी उगाने और नए पेड़ लगाने का प्रबंध करना ताकि मिट्टी की क्षमता बनाए रखी जा सके और वातारण को स्वच्छ रखा जा सके।
(घ) गाँव में बच्चों और प्रौढ़ों की शिक्षा का प्रबंध करना तथा पुस्तकालय और वाचनालय की व्यवस्था।
(ङ) स्वास्थ्य सम्बन्धी सुविधाएँ प्रदान करना।
(च) कृषि के आधुनिक तरीकों की जानकारी प्राप्त करना।
(छ) गाँव के विकास से सम्बन्धित 20 सूत्रीय आर्थिक कार्यक्रम को लागू करना।

खंड विकास अधिकारी

इन कार्यक्रमों को लागू करने की जिम्मेदारी राज्य सरकारों पर होती है। ज़िला स्तर पर विकास कार्य ज़िला परिषदों द्वारा किया जाता है जिले को कई खंडों या ब्लॉकों में बाँट दिया जाता है। प्रत्येक ब्लॉक के स्तर पर एक ब्लॉक समिति कार्य करती है। इस समिति को सभी प्रकार की सहायता देने के लिए एक अधिकारी होता है जिसे **बी.डी.ओ. (ब्लॉक डेवलपमेंट आफ़िसर)** या **खंड विकास अधिकारी** कहते हैं। बी.डी.ओ. को कार्यक्रम सम्बन्धी सभी जानकारी होती है। उसकी मदद के लिए कई **विस्तार अधिकारी** होते हैं। ये अधिकारी कृषि, सहकारिता, पशुपालन, शिक्षा इत्यादि के विशेषज्ञ होते हैं। बी.डी.ओ. इन सरकारी कर्मचारियों के कार्य का निरीक्षण करता है।

ग्राम सेवक

गाँव के विकास कार्यों में **ग्राम सेवक** सबसे अधिक मदद करता है। ग्राम सेवक का पद बहुत महत्त्वपूर्ण है। खेती किस प्रकार की जाए, खाद का ठीक प्रयोग किस तरह किया जाए, अच्छे बीज की क्या पहचान है, पशुओं की प्राथमिक चिकित्सा किस प्रकार की जाए, गाँव के लोग स्वस्थ जीवन किस प्रकार बिताएँ इत्यादि बातों में वह गाँव के लोगों को सलाह देता है। प्रत्येक ग्राम सेवक के निरीक्षण में लगभग 10 गाँव होते हैं।

3
अध्याय

गाँवों की प्रगति और सामुदायिक विकास

हमारे गाँवों में विकास की गति बहुत धीमी है। विकसित देशों में जैसे कि अमरीका, कनाडा इत्यादि में बहुत कम लोग खेती करते हैं। ये थोड़े से लोग न केवल अपने देश की जनता के लिए अनाज उत्पन्न करते हैं, बल्कि अन्य देशों को भी अन्न निर्यात करते हैं। हमारे देश में गाँवों में रहने वाले अधिकतर लोग खेती का काम करते हैं, किन्तु वे इतना अनाज पैदा नहीं कर पाते जो पूरे देश की आवश्यकता के लिए पर्याप्त हो। किसानों को भी खेती से इतनी आमदनी नहीं हो पाती जिससे कि वे सुखी जीवन बिता सकें।

स्वतन्त्रता के बाद यह अनुभव किया गया कि हमारी उन्नति में सबसे बड़ी बाधा हमारी ग्रामीण जनता का पिछड़ापन है। हमारे गाँवों के पिछड़ने के कई कारण हैं।

असमानता

गाँव के कुछ किसानों के पास बहुत अधिक जमीन है। ऐसे किसान भूमिहीन मजदूरों या गरीब किसानों की मदद से खेती करते हैं। मजदूरों को दूसरों के खेतों पर काम करने में इतनी रुचि नहीं होती जितनी अपने स्वयं के खेतों पर काम करने में हो सकती है। परन्तु इन मजदूरों के पास अपनी कोई निजी जमीन नहीं होती जिस पर कि वे खेती कर सकें। इसका पैदावार पर बुरा असर पड़ता है। अतः जमीन के पुनः बँटवारे की आवश्यकता है और राज्य सरकारें इस दिशा में उचित प्रयास कर रही है।

जाति प्रथा

जाति प्रथा हमारे समाज की एक बड़ी समस्या है। हमारा समाज ऊँची और नीची जातियों में बाँट हुआ है। दलित वर्ग के लोग गाँव की प्रगति के लिए भरसक प्रयत्न करते हैं तब भी उन्हें नीच समझा जाता है।

> पता लगाओ अस्पृश्यता का क्या अर्थ होता है? क्या तुम्हें मालूम है कि अस्पृश्यता कानूनन अपराध है?

जब तक हम दलित वर्ग को नीच समझेंगे तब तक देश की उन्नति में उनका पूरा सहयोग नहीं मिल सकेगा। जाति-पांति

के भेद-भाव से देश कमजोर बनता है।

> क्या तुमने अपने पड़ोस में जाति के आधार पर कोई भेदभाव देखा है? अपने सहपाठियों और अध्यापकों से इस तरह के भेदभाव की चर्चा करो।

देश की प्रगति के लिए सामाजिक समानता का होना बहुत जरूरी है।

ग्रामों में कर्ज़ की समस्या

गाँवों में कर्ज़ की समस्या एक अन्य परेशानी की बात है। किसान को प्रायः अपने खेत के लिए हल, बैल, बीज और खाद खरीदनी पड़ती है। ऐसे अवसरों पर उन्हें गाँव के **महाजन** से कर्ज लेना पड़ता है। ये महाजन उनसे काफी सूद लेते हैं। कभी-कभी किसान जीवन भर के लिए कर्ज़ के बोझ से दब जाते हैं। किसानों को इन सूदखोरों से बचाना बहुत जरूरी है। सरकार ने ग्राम-वासियों की सहायता के लिए गाँवों में बैंकों की शाखाएँ खोली हैं।

सामाजिक कुप्रथाएँ

दहेज प्रथा और **फिजूलखर्ची** ने ग्रामीण जनता की कठिनाइयों को बढ़ा दिया। ग्रामवासी सगाई, विवाह और जन्म-मरण के संस्कारों पर बहुत खर्चा करते हैं। यहाँ तक कि इन अवसरों पर बड़े-बड़े भोज देने के लिए उन्हें ऊँची दर पर कर्ज लेना पड़ता है। कभी-कभी खेत, मकान, जेवर भी गिरवी रखने पड़ते हैं। बढ़ते-बढ़ते यह रकम इतनी बढ़ जाती है कि उसे चुकाना कठिन हो जाता है और इनके खेत, मकान इत्यादि बिक जाते हैं। दहेज भी हमारे देश की बहुत बड़ी **कुप्रथा** है। हमें इन **कुरीतियों** को मिटाना होगा।

अंधविश्वास और अज्ञानता

अज्ञानता और निरक्षरता के कारण ग्रामीण समाज पिछड़ा हुआ है। कई ग्रामवासी अज्ञानता के कारण परिवार नियोजन जैसे अच्छे कार्यक्रमों का विरोध करते हैं। अधिक बच्चों के होने पर उन्हें अच्छा भोजन और अच्छी शिक्षा नहीं दी जा सकती। परिवार की गरीबी भी बढ़ जाती है। अनेक ग्रामीण बीमारियों को देवी-देवताओं का प्रकोप समझते हैं और झाड़-फूँक में विश्वास रखते हैं। वे इनका डॉक्टरी इलाज नहीं करवाते।

आज भी बहुत से गाँवों में चिकित्सा सुविधा उपलब्ध नहीं हैं किन्तु यह भी सत्य है कि अज्ञानता के कारण कुछ लोग प्राथमिक चिकित्सा केन्द्रों से मिलने वाली सहायता का लाभ नहीं उठा पाते। देवी का प्रकोप समझ कर वे बच्चों को चेचक का टीका भी कभी-कभी नहीं लगवाते। पहले चेचक के कारण कई बच्चे अंधे हो जाते थे और उनके चेहरे बिगड़ जाते थे। यह सब अंधविश्वास के कारण होता है। इसी प्रकार गरीबी के कारण किसान गोबर का ईंधन के तौर पर उपयोग करते हैं। वे पानी को साफ करने के लिए **लाल दवाई** और **क्लोरीन** इत्यादि का प्रयोग नहीं करते। इसका परिणाम यह होता है कि

4
अध्याय
हमारा आर्थिक जीवन और सहकारिता

किसी भी देश के नागरिक जीवन पर उसके आर्थिक जीवन का गहरा प्रभाव पड़ता है। संस्कृत में कहावत है **बुभुक्षितः किं न करोति पापम्**। इस कहावत का अर्थ है भूखा आदमी कोई भी पाप कर सकता है। यदि किसी समाज में गरीबी हो तो वहाँ का नागरिक जीवन भी निम्न-स्तर का होता है। गरीबी और अज्ञानता एक अच्छे नागरिक जीवन की सबसे बड़ी दुश्मन हैं।

हमारी अधिकांश ग्रामीण जनता गरीब और अज्ञानी है। गरीबी के कारण किसान अच्छे बीज और खाद नहीं खरीद सकता। उसे सदैव धन की कमी महसूस होती है। उसे समय-समय पर साहूकार से ऋण लेना पड़ता है। साहूकार किसान की इस लाचारी का फायदा उठाकर उससे मनमाना सूद वसूल करता है और इस प्रकार किसान सदा के लिए ऋण के बोझ से दब जाता है। अज्ञानता के कारण किसान खेती के नए तरीकों से अनभिज्ञ रहता है और अपनी पैदावार बढ़ा नहीं पाता।

इसी तरह शहरों में भी अनेक प्रकार की आर्थिक समस्याएँ हैं। महँगाई के कारण शहरों में रहने वाली गरीब जनता न तो अच्छा खा सकती है और न अच्छा पहन सकती है। शहरों में व्यापारी लोग कीमतों को बढ़ा कर अधिक से अधिक मुनाफा कमाना चाहते हैं।

सरकार इन आर्थिक समस्याओं को दूर करने का प्रयास कर रही है। लेकिन स्वयं जनता को भी अपनी कठिनाइयों को दूर करने का प्रयास करना चाहिए। परस्पर सहयोग और मिल-जुल कर काम करने से इन समस्याओं को सुलझाने में काफी मदद मिल सकती है।

सहकारिता क्या है?

सहकारिता का अर्थ है मिल-जुल कर काम करना। आपसी सहयोग का ही दूसरा नाम सहकारिता है। सहकारिता और सहयोग के बिना कोई भी काम नहीं किया जा सकता। यदि सहयोग है तो कोई ऐसा काम नहीं जो न किया जा सके।

कुछ लोग किसी आर्थिक उद्देश्य को लेकर एक **सहकारी समिति** बना लेते हैं। तुम्हारे स्कूल में शायद किताबों-कापियों के

लिए सहकारी दुकान होगी। सहकारी समिति का सदस्य बनने के लिए प्रत्येक व्यक्ति को निश्चित फीस देनी पड़ती है। इस प्रकार समिति के पास कुछ धन जमा हो जाता है। इस धन से कुछ चीज़ें थोक बाज़ार से खरीद ली जाती हैं। इन चीजों को उचित दाम पर जनता को बेच दिया जाता है। सहकारी समिति इन चीजों पर केवल उतना ही मुनाफ़ा लेती है जिससे उसका खर्च चल सके।

सहकारिता की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि लोग अपनी इच्छा से सहकारी समिति के सदस्य बनते हैं। सभी सदस्यों को समान अधिकार प्राप्त होते हैं। सहकारी

चित्र 6 : सहकारी समितियों की सफलता हम सबके सहयोग पर निर्भर है।

चित्र 5 : सामुदायिक विकास कार्यक्रम में ग्राम सेवक का बहुत महत्त्वपूर्ण स्थान है।

सामुदायिक विकास कार्यक्रम के कारण हमारे गाँवों में उन्नति हुई है। विशेष ध्यान देने की बात यह है कि ये कार्यक्रम ग्रामवासियों के अपने कार्यक्रम हैं। इसकी सफलता ग्रामवासियों के सहयोग पर निर्भर करती है। जनता का सहयोग प्राप्त करने के लिए **ग्राम पंचायत** और **पंचायती राज** की स्थापना की गई। इस विषय में तुम अगले पाठों में पढ़ोगे।

अभ्यास

1. भूमिहीन मजदूर किसे कहते हैं ? भूमिहीन मजदूरों की दशा सुधारने के लिए सरकार ने क्या-क्या कदम उठाए हैं?
2. अधिक बच्चों के कारण परिवार को किन-किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है ?
3. उन चार कुरीतियों का उल्लेख करो जिनके कारण ग्रामीण जनता की कठिनाइयाँ बढ़ सकती हैं ।
4. उन तीन वैज्ञानिक तरीकों के नाम बताओ जिनका पालन करने से खेती की पैदावार बढ़ सकती है ।
5. सामुदायिक विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत जिन कामों पर ध्यान दिया जाता है उनमें से किन्हीं चार का उल्लेख करो।
6. ग्राम सेवक ग्रामीण लोगों की सहायता किस तरह करता है ?

समिति से जो लाभ होता है उसे सदस्यों में बराबर बाँट दिया जाता है। सहकारिता में स्वार्थ और स्पर्धा की कोई जगह नहीं होती। सहकारी समिति के सभी सदस्य एक दूसरे की मदद करते हैं।

सहकारिता से लाभ

मुनाफ़ाखोरी से बचाव

बाज़ार में प्रत्येक चीज़ कई-कई व्यापारियों के हाथों से गुजरती है। जो चीज़ जिस जगह पैदा होती है, वह वहीं नहीं बिक जाती। उसे थोक के व्यापारी खरीद लेते हैं और मुनाफ़े पर फुटकर व्यापारियों को बेच देते हैं। फुटकर दुकानदार भी अपना मुनाफ़ा लेकर वह चीज़ जनता को बेच देता है। इस प्रकार प्रत्येक व्यापारी अधिक से अधिक लाभ उठाना चाहता है और इस प्रकार ग्राहक तक पहुँचते-पहुँचते वस्तु के दाम कई गुना बढ़ जाते हैं। सहकारी समिति थोक से अच्छा और सस्ता सामान खरीद कर अपने सदस्यों को उचित दाम पर बेचती है। इस प्रकार वह अपने सदस्यों और आम जनता को मुनाफाखोरों से बचा लेती है।

अनेक स्थानों पर उपभोक्ता सहकारी समितियाँ भी खोली गई हैं। ये समितियाँ उपभोक्ताओं को उचित दाम पर चीज़ें बेचती हैं। इनके सामान में किसी तरह की मिलावट नहीं होती। उपभोक्ता सहकारी समितियों का उद्देश्य बाजार में बढ़ती हुई कीमतों को रोकना भी है।

एक सहकारी समिति और निजी दुकानों पर बिकने वाली चीज़ों की कीमतों में अन्तर का पता लगाओ।

तुमने देखा होगा कि कभी-कभी कुछ दुकानदार हमारे साथ बेईमानी कर जाते हैं। जो सामान हम खरीदते हैं उसमें मिलावट हो सकती है। कभी-कभी जो चीज़ें हम खरीदते हैं वे तोल में कम उतरती हैं। अतः एक उपभोक्ता के रूप में हमें अपने कर्तव्यों के प्रति सतर्क रहना चाहिए। सरकार चाहती है कि बेईमानी की स्थिति में हम तुरन्त सम्बन्धित अधिकारियों से शिकायत करें। हमारा यह भी कर्तव्य है कि जिन वस्तुओं की कमी हो उनका कम उपयोग करें। कुछ वस्तुओं की कमी होने पर लोग उन्हें जमा कर लेते हैं और फिर काला धंधा करते हैं। हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि हम ज्यादा दाम देकर वस्तुएँ न खरीदें।

कई स्कूलों में सहकारी समितियाँ **विद्यार्थियों को सही दामों पर पुस्तकें-कापियाँ** आदि बेचती हैं। स्कूल की सहकारी समितियों का मुख्य उद्देश्य शैक्षणिक होता है। इन समितियों द्वारा विद्यार्थियों के नेतृत्व की भावना और संगठन का संचालन करने की योग्यता उत्पन्न होती है।

तुम किस से शिकायत करोगे यदि तुम्हें
(क) मिलावट वाली वस्तु मिली हो,
(ख) अथवा वस्तु तोल में कम हो।

सूदखोरी से रक्षा

कभी-कभी गरीब किसानों, मजदूरों अथवा कमजोर वर्ग के लोगों को मजबूरी में कर्ज़ लेना पड़ जाता है। महाजन इस मजबूरी का फायदा उठाकर अधिक से अधिक सूद पर रुपया उधार देते हैं।

कई सहकारी समितियाँ अपने सदस्यों को कर्ज भी देती हैं। ये समितियाँ अपने सदस्यों को उनकी वास्तविक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कम सूद पर कर्ज देती हैं। इस प्रकार सहकारी समिति के सदस्य सूदखोरी से बच जाते हैं।

किसानों को साहूकारों की सूदखोरी से बचाने के लिए गाँवों में **प्राथमिक कृषि साख समितियाँ** (उधार) बनाई गई हैं। ये समितियाँ अपने सदस्यों को रुपया उधार देती हैं। ये समितियाँ सूद लेती हैं, परन्तु उतना ही जितना इन समितियों के लिए जरूरी होता है। इन समितियों को कार्यालय की देखभाल पर रुपया खर्च करना पड़ता है और कुछ रुपया सुरक्षित कोष में भी रखना पड़ता है। यदि इसके बाद भी कुछ रुपया बच जाता है तो ये समितियाँ उसे शिक्षा आदि किसी नेक काम के लिए दान कर देती हैं।

सहकारी समिति द्वारा कर्ज प्रायः ऐसे कामों के लिए दिया जाता है जिससे किसान अपने खेतों में पैदावार बढ़ा सकें। कभी-कभी महाजन का कर्ज चुकाने और विवाह आदि पर खर्च के लिए भी कर्ज़ दिया जा सकता है।

कृषि में सहायता

हमारा देश कृषि प्रधान है। यहाँ अधिकतर लोग छोटे किसान हैं जो गरीब हैं और पुराने ढंग से खेती करते हैं। इनकी पैदावार बहुत कम है। ये किसान साल में कुछ महीने बेकार भी रहते हैं। यदि इन्हें नए और वैज्ञानिक ढंग से खेती करने के लिए बढ़ावा दिया जाए तथा खाली समय में कुछ काम करने के लिए प्रोत्साहित किया जाए तो उनकी आय बढ़ सकती है।

सहकारी समितियाँ किसानों को अच्छे और सस्ते बीज, खाद, खेती के नए औजार, सिंचाई के लिए पानी, अनाज रखने के लिए गोदाम, पैदावार बेचने के लिए बाज़ार, गाय, बैल आदि खरीदने के लिए उधार आदि की व्यवस्था करती हैं। इससे किसानों की आय बढ़ सकती है और वे सुखी और सम्पन्न हो सकते हैं।

बहुउद्देशीय समितियाँ

पहले साख समितियाँ केवल रुपया उधार देने का काम करती थीं। अब ऐसी समितियाँ भी बनाई गई हैं, जो कई काम एक साथ करती हैं। ऐसी सहकारी समितियों को **बहुउद्देशीय समितियाँ** कहा जाता है। ये समितियाँ किसानों को रुपया उधार देने के साथ-साथ अच्छे बीज, खाद और खेती के औज़ार भी बेचती हैं।

कुछ सहकारी समितियाँ व्यापार का काम भी करती हैं। ये दूध, रुई, कपास आदि

को खरीदती और बेचती हैं। उत्तर प्रदेश में घी, पंजाब में अंडे और बम्बई में फल और सब्जियों का बहुत सा व्यापार ये समितियाँ ही करती हैं।

अन्य लाभ

सहकारी समितियाँ किसानों के अलावा मजदूरों, शिल्पकारों और दफ़्तर में काम करने वाले कर्मचरियों की भी सहायता करती हैं। ये समितियाँ कुटीर और लघु उद्योग धन्धों को प्रोत्साहित करती हैं। सूत कातना, कपड़े बुनना (खादी, धोती, साड़ी, लुंगी, रेशमी कपड़ा इत्यादि) मिट्टी, धातु और चीनी के बर्तन बनाना और मछली पकड़ना इत्यादि उद्योगों की सहायता के लिए सहकारी समितियाँ अपने सदस्यों को रुपया उधार देती हैं। वे इन उद्योगों के लिए औज़ार और कच्चा माल भी उपलब्ध कराती हैं। माल तैयार होने पर वे उसे बेचने का प्रबन्ध भी करती हैं।

तुमने शहरों में सहकारी समितियों द्वारा बनाए गए कुछ मकान और बस्तियाँ भी देखी होगीं। सहकारी समितियाँ मकान बना कर अपने सदस्यों को दे देती हैं। मकान की कीमत सदस्यों से किश्तों में वसूल की जाती हैं।

सहकारी बैंक

सहकारी समितियाँ कई तरह के काम करती हैं जैसे रुपया उधार देना, उद्योग धन्धे चलाना, व्यापार करना, बिक्री के लिए तरह-तरह का सामान खरीदना, इत्यादि। इन सब कार्यों के लिए सहकारी समितियों के पास पर्याप्त धन नहीं होता। इसलिए इनको बैंकों से रुपया उधार लेना पड़ता है।

सहकारी बैंक सहकारी समितियों को रुपया उधार देते हैं। इसके अतिरिक्त वे साधारण बैंकों के काम, जैसे रुपया जमा करना, चेक भुनाना इत्यादि भी करते हैं। जोड़े हुए रुपए को बैंक में जमा करना एक अच्छी आदत है। हमारे यहाँ कुछ लोग अपनी बचत को गहनों के रूप में घर में रखना अच्छा समझते हैं। गहनों की धातु घिसती रहती है और इस प्रकार पूँजी घटती जाती है। इनके चोरी हो जाने का भी डर रहता है। बचे हुए धन को बैंक में रखने से जान-माल के जाने का डर नहीं रहता। इसके ऊपर सूद भी मिलता रहता है। इस प्रकार धन में वृद्धि भी होती है और वह सुरक्षित भी रहता है। जनता में बचत की आदत पड़ जाती है। बैंकों में जमा धन का उपयोग देश में कृषि और उद्योगों की उन्नति के लिए किया जाता है। इस तरह से व्यक्ति, परिवार और देश सभी को लाभ होता है।

सहकारिता और सामुदायिक विकास

सहकारिता का मुख्य उद्देश्य आर्थिक विकास है। आर्थिक विकास के बिना सामाजिक विकास नहीं किया जा सकता। इसलिए **सहकारिता** और **सामुदायिक विकास** में गहरा सम्बन्ध है।

सहकारी समितियाँ ऐच्छिक सहयोग पर आधारित हैं। केन्द्र और राज्यों की सरकारें इन समितियों की अनेक प्रकार से सहायता करती हैं। सहकारी समितियों और सामुदायिक विकास विभाग के कर्मचारी जनता में सहकारिता का प्रचार करते हैं। वे इन समितियो को परामर्श देते हैं और हर तरह से उनकी सहायता करते हैं।

अभ्यास

1. गरीबी और अज्ञानता नागरिक जीवन की प्रगति में किस प्रकार बाधक हैं?
2. सहकारिता हमें मुनाफ़ाखोरी से किस प्रकार बचाती है?
3. सहकारिता से किसानों को कौन-कौन से लाभ हैं?
4. बहुउद्देशीय सहकारी समितियों द्वारा किए जाने वाले कार्यों का उल्लेख करो।
5. सहकारी बैंक से जनता को क्या लाभ है?
6. सहकारिता और सामुदायिक विकास एक-दूसरे से किस प्रकार सम्बन्धित हैं? चार वाक्यों में उत्तर लिखो।
7. निम्नलिखित वाक्यों में से सही वाक्यों पर (✓) चिन्ह लगाओ और गलत वाक्यों को सही करो:
   (क) सहकारी समितियाँ अपने सदस्यों को रुपया कमाने में मदद देती हैं।
   (ख) लोग अपनी इच्छानुसार ही सहकारी समितियों के सदस्य बनते हैं।
   (ग) सहकारी समितियों से बड़े उद्योगों को सहायता मिलती है।
   (घ) सहकारी समितियाँ जनता को मुनाफ़ाखोरी से बचाती हैं।

5

अध्याय

ग्राम पंचायत

सुखी नागरिक जीवन के लिए अच्छा स्वास्थ्य, स्वच्छ वातावरण, आवागमन की सुविधा इत्यादि अत्यन्त आवश्यक हैं। अच्छे स्वास्थ्य के लिए संतुलित भोजन, बीमारियों की रोकथाम, पास-पड़ोस की स्वच्छता का होना जरूरी है। प्रत्येक व्यक्ति अपने स्वास्थ्य और घर की देखभाल के लिए स्वयं प्रयत्न करता है। किन्तु यदि एक स्थान पर हज़ार, दो हज़ार अथवा दस हज़ार व्यक्ति रह रहे हों, तब एक ऐसे संगठन की आवश्यकता पड़ती है जो ये सारे कार्य कर सके।

चाहे गाँव हो या शहर, दोनों की ही कुछ समान आवश्यकताएँ होती हैं। उदाहरण के लिए, गाँव तथा शहर में रहने वाले लोगों को पीने योग्य पानी, चारों ओर सफाई, अच्छा स्वास्थ्य, रोशनी का प्रबन्ध, पढ़ने के लिए स्कूल तथा आवागमन के लिए सड़कों की आवश्यकता होती है।

उपर्युक्त सुविधाओं तथा जनकल्याण के कार्यों के लिए, भारत के लगभग सभी गाँवों में **ग्राम पंचायतें** बनाई गई हैं। किन्तु हमारे देश में कुछ गाँव बहुत ही छोटे हैं। अतः कई गाँवों को मिलाकर एक **पंचायत** बना ली जाती है।

पंचायत का अर्थ

पंचायत का शाब्दिक अर्थ पाँच पंचों की समिति से है। प्राचीन काल में गाँव के झगड़ों का निपटारा पाँच पंचों की समिति द्वारा किया जाता था। इसी व्यवस्था से पंचायत शब्द का जन्म हुआ है।

ग्राम पंचायतों का इतिहास बहुत पुराना है। हमारे देश में प्राचीन काल में पंचायतें ही आपसी झगड़ों का फैसला करती थीं। परन्तु अंग्रेज़ी शासन काल में यह संस्था धीरे-धीरे समाप्त हो गई और इसका काम सरकारी कर्मचारी करने लगे।

स्वतन्त्रता के बाद देश का नया संविधान बना। उसमें ग्राम पंचायतों की स्थापना और उनके विकास पर विशेष बल दिया गया। यही कारण है कि स्वतन्त्रता के बाद राज्य सरकारों ने पंचायतों की पुनर्स्थापना की।

ग्राम पंचायतों का मुख्य उद्देश्य गाँवों की उन्नति करना और ग्रामवासियों को आत्मनिर्भर बनाना है।

ग्राम पंचायतों का संगठन

प्रायः सभी राज्यों के गाँवों में एक **ग्राम सभा**, **ग्राम पंचायत** तथा **न्याय पंचायत** होती है। इन तीनों के विषय में अलग-अलग समझना जरूरी है।

ग्राम सभा

गाँव के सभी स्त्री-पुरुष जो 21 वर्ष तथा इससे अधिक आयु के हों, ग्राम सभा के सदस्य होते हैं। ऐसे सभी पुरुषों और स्त्रियों को वयस्क कहा जाता है। ये सब मिल कर 'ग्राम सभा' बनाते हैं। इनकी संख्या सौ से लेकर एक हजार तक भी हो सकती है। ये सदस्य अपने कुछ प्रतिनिधि चुनते हैं जिनकी संख्या सात से लेकर इक्कतीस तक हो सकती है। यह संख्या प्रत्येक राज्य में अलग-अलग हो सकती है।

> तुम्हारे क्षेत्र में ग्राम सभा का क्या नाम है? इसमें लगभग कितने सदस्य हैं?

ये चुने हुए लोग मिलकर 'ग्राम पंचायत' बनाते हैं। ग्राम पंचायत में अनुसूचित जातियों और महिला सदस्यों का होना भी जरूरी है यदि किसी कारण इनका चुनाव नहीं हो पाता तो सरकार इन्हें मनोनीत कर सकती है।

चित्र 7 : ग्राम सभा

ग्राम पंचायतें ही गाँव की उन्नति के लिए जिम्मेदार होती हैं। ये अनेक कार्य करती हैं जैसे कि स्वास्थ्य, सफ़ाई, शिक्षा आदि का प्रबन्ध करना, सम्पत्ति को रखना, खरीदना अथवा बेचना इत्यादि। ग्राम पंचायतें अपनी आय और व्यय का ब्यौरा रखती हैं और इसे प्रति वर्ष ग्राम सभा के सामने प्रस्तुत करती हैं। ग्राम सभा की प्रति वर्ष दो बैठकें अवश्य होती हैं।

पंचायत के पदाधिकारी और समितियाँ

प्रत्येक ग्राम पंचायत का एक प्रधान होता है। इसे कुछ राज्यों में **सरपंच** भी कहा जाता है। कहीं-कहीं इसका चुनाव ग्राम सभा द्वारा किया जाता है और कहीं-कहीं ग्राम पंचायत द्वारा। प्रधान पंचायत की बैठकें बुलाता है और उनका सभापतित्व करता है। प्रधान का पद बहुत महत्त्वपूर्ण होता है।

तुम्हारे राज्य में ग्राम पंचायत में सभापति को किस नाम से जाना जाता है?

ग्राम पंचायत एक उप-प्रधान भी चुनती है और काम की सुविधा के लिए कई समितियाँ बनाती है। पंचायत के प्रधान की अनुपस्थिति में उसका काम उप-प्रधान करता है। यदि प्रधान, उप-प्रधान अथवा अन्य निर्वाचित पदाधिकारियों का कार्य सन्तोषजनक न हो तो ग्राम पंचायत उन्हें अविश्वास प्रस्ताव पास करके उनके पदों से हटा भी सकती हैं। पंचायत के प्रधान, उप-प्रधान और अन्य सदस्यों के पद अवैतनिक होते हैं। पंचायत का चुनाव कहीं पर चार वर्ष और कहीं पर पाँच वर्ष के लिए होता है। यदि कोई व्यक्ति दुबारा चुनाव में हार जाता है तो उसकी सदस्यता समाप्त हो जाती है।

पंचायत के आय-व्यय का ब्यौरा रखने के लिए एक वेतनभोगी कर्मचारी भी होता है। अधिकतर राज्यों में उसे पंचायत-सचिव कहा जाता है। सचिव का काम पंचायत के सभी कार्यों का ब्यौरा रखना, दूसरे आवश्यक कागज़ों और रजिस्टरों को भरना और उनकी देख-रेख करना है। यह स्थाई कर्मचारी होता है।

आय के साधन

पंचायत की आय के कई साधन हैं। इनमें प्रमुख हैं–मेला और दुकानों पर कर लगाना, जानवरों को खरीदने और बेचने पर रजिस्ट्री की फीस लेना, मकानों पर टैक्स लगाना, सरकारी अनुदान प्राप्त करना और सार्वजनिक सम्पत्ति को बेचना। इन सभी साधनों से पंचायत को जो आय होती है उसे पंचायत गाँव के विकास पर खर्च करती है।

पंचायत के कार्य

पंचायत के कार्यों को हम दो भागों में बाँट सकते हैं– **अनिवार्य कार्य** और **ऐच्छिक कार्य**। पंचायत के अनिवार्य कार्यों में पानी, स्वास्थ्य और सफ़ाई की व्यवस्था करना, सड़कों का रख-रखाव, रोशनी का प्रबन्ध

करना, पेड़ लगाना इत्यादि सम्मिलित हैं।

ग्राम पंचायत को गाँव की स्वच्छता की ओर ध्यान देना पड़ता है। इसके लिए ग्राम पंचायत सफ़ाई मजदूरों की व्यवस्था करती है। यदि किसी ग्रामीण व्यक्ति के घर की नाली, पेशाबघर इत्यादि से गाँव में गन्दगी फैलती हो तो पंचायत मकान मालिक को नोटिस देकर उन्हें ठीक करा सकती है। ग्राम पंचायत सार्वजनिक कुओं, तालाबों, जोहड़ों, गड्ढों इत्यादि की मरम्मत का काम भी करती है।

यदि कोई ग्रामवासी किसी सरकारी कर्मचारी जैसे पटवारी, लेखपाल, सिपाही, चौकीदार, टीका लगाने वाले, चपरासी आदि के विरुद्ध शिकायत करता है तो ग्राम पंचायत उनकी रपट ऊपर के अधिकारी से कर सकती है।

उपर्युक्त अनिवार्य कार्यों के अतिरिक्त ग्राम पंचायत कुछ कार्य **स्वेच्छा** से भी कर सकती है। ऐच्छिक कार्यों में जो विषय आते हैं वे इस प्रकार हैं—चिकित्सा, अस्पतालों और औषधालयों का प्रबन्ध करना, छोटे बच्चों को रोग निरोधक टीके लगवाने में सहायता देना, हाट बाज़ार लगवाना, पशुओं की चिकित्सा और भलाई के लिए काम करना, अखाड़ों या खेलकूद का प्रबन्ध करना, खाद इकट्ठी करने के लिए स्थान तय करना, सड़क के दोनों ओर पेड़ लगवाना, रेडियो का प्रबन्ध करना इत्यादि।

> क्या तुम्हारे क्षेत्र में रोग निरोधक टीकों को लगवाने की सुविधाएँ उपलब्ध हैं? दो टीकों को नाम बताओ।

न्याय पंचायत

गाँवों में छोटे-मोटे झगड़ों का फैसला करने के लिए न्याय पंचायतों की स्थापना की जाती है। कई ग्राम पंचायतों के लिए एक ही न्याय पंचायत की व्यवस्था भी की जा सकती है। न्याय पंचायत के सदस्यों का चुनाव ग्राम पंचायत द्वारा किया जाता है। कोई भी व्यक्ति एक साथ ग्राम पंचायत और न्याय पंचायत दोनों का सदस्य नहीं हो सकता।

न्याय पंचायत केवल निम्न-स्तर के दीवानी और फौज़दारी मुकद्दमों की सुनवाई करती है। उसे जुर्माना करने का अधिकार है, किन्तु जेल भेजने का अधिकार नहीं है। न्याय पंचायतों में वकील आदि की आवश्यकता नहीं होती और न ही अर्जी आदि पर विशेष खर्च होता है। न्याय पंचायतों द्वारा मुकद्दमों का फैसला जल्दी हो जाता है और उन पर खर्च भी कम आता है। यदि कोई व्यक्ति न्याय पंचायत के फैसले से सन्तुष्ट न हो तो वह ऊपरी अदालतों में जा सकता है।

> क्या तुम्हें अपने क्षेत्र की न्याय पंचायत द्वारा सुलझाए गए किसी मुकद्दमें की जानकारी है? वह मुकद्दमा किस झगड़े को लेकर था? न्याय पंचायत ने उसमें क्या निर्णय दिया?

ग्राम पंचायत का महत्त्व

ग्राम पंचायत ग्रामीण जनता की आवश्यकताओं को पूरा करने और उनकी कठिनाइयों को हल करने में पूरी सहायता करती है। ग्राम पंचायत सामुदायिक विकास कार्यक्रम में ग्रामवासियों का सहयोग प्राप्त करती है। पहले ग्रामवासी अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए केवल सरकारी कर्मचारियों पर निर्भर रहते थे। लेकिन अब ग्राम पंचायतों के बन जाने के कारण वे सरकारी कर्मचारियों पर ही निर्भर नहीं रहते। पंचायतों द्वारा ग्रामीण जनता आत्म निर्भर बनना सीख रही है। ग्रामवासी अब यह समझने लगे हैं कि उन्हें अपनी समस्याओं को समाधान स्वयं ढूँढना होगा। इसी में उनकी और देश की भलाई है।

ग्राम पंचायत पंचायती राज की एक महत्वपूर्ण कड़ी है। पंचायती राज के विषय में तुम अगले पाठ में पढ़ोगे।

अभ्यास

1. ग्राम स्तर पर पंचायतें किन-किन समस्याओं का समाधान करती हैं?
2. ग्राम सभा और ग्राम पंचायत में क्या भेद है?
3. ग्राम पंचायत के प्रधान का चुनाव किस प्रकार होता है? उसके दो प्रमुख कार्यों का उल्लेख करो।
4. पंचायत सचिव ग्राम पंचायत के कार्यों में किस प्रकार सहयोग देता है?
5. ग्राम पंचायतों की आय के साधन कौन-कौन से हैं? वे इस धन को किस प्रकार खर्च करती हैं?
6. न्याय पंचायत में किस प्रकार के मुकद्दमों की सुनवाई होती है?
7. ग्राम पंचायतों से ग्रामवासियों को क्या-क्या लाभ हैं? किन्हीं तीन लाभों का उल्लेख करो।

6

अध्याय

पंचायती राज

स्थानीय शासन क्यों?

पिछले पाठ में तुमने ग्राम पंचायतों के विषय में पढ़ा। ग्राम पंचायत का कार्य एक गाँव तक ही सीमित होता है। प्रायः जनसंख्या और क्षेत्र के हिसाब से गाँव बहुत छोटे होते हैं। वे अपनी समस्त आवश्यकताएँ स्वयं पूरी नहीं कर सकते।उन्हें आस-पास के गाँवों का सहारा लेना पड़ता है। इसके बिना कोई भी गाँव अपना पूर्ण विकास नहीं कर सकता। प्रत्येक गाँव के लिए अलग से माध्यमिक स्कूल, चिकित्सक, कृषि विशेषज्ञ अथवा इन्जीनियर की व्यवस्था नहीं की जा सकती। इसके अतिरिक्त राज्य अथवा केन्द्रीय सरकार प्रत्येक गाँव की आवश्यकताओं का ध्यान नहीं रख सकती। उनके ऊपर अनेक प्रकार की जिम्मेदारियाँ होती हैं और वे समय पर आवश्यक कदम नहीं उठा पाती। इसमें एक तो देर लगती है और व्यय भी अधिक होने की संभावना रहती है।

यदि किसी गाँव में एक नया स्कूल खोला जाए अथवा पीने का पानी प्राप्त करने के लिए एक कुआँ खोदा जाए तो इससे सभी गाँव वालों को लाभ पहुँचता है। इस प्रकार के कार्यों में स्थानीय जनता विशेष रुचि लेती है। लोग चाहते हैं कि काम जल्दी से जल्दी समाप्त हो और खर्च भी कम लगे। इस प्रकार के कामों के लिए लोग कर देने के लिए भी सहमत हो जाते हैं।

ये सब काम **स्थानीय सरकार** द्वारा सुगमतापूर्वक किए जा सकते हैं। जो व्यक्ति स्थानीय सरकार चलाते हैं, वे जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि होते हैं। स्थानीय सरकार हमारे देश की सरकार का एक छोटा रूप है। स्थानीय स्तर पर काम करने पर प्रतिनिधियों को शासन चलाने का प्रशिक्षण तथा अनुभव प्राप्त होता है जिससे उनमें आत्मनिर्भरता की भावना का विकास होता है। दूसरे, लोगों में स्वयं आगे बढ़कर काम करने और परस्पर सहयोग करने की भावना पनपती है। अतः जनता का सहयोग प्राप्त करने के लिए जनता द्वारा निर्वाचित संस्थाओं का होना जरूरी समझा गया। स्थानीय स्तर पर काम करने से प्रतिनिधियों को शासन चलाने का प्रशिक्षण तथा अनुभव मिलता है। यह प्रशिक्षण और अनुभव राज्य अथवा केन्द्र की

सरकार को चलाने में उपयोगी सिद्ध होता है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी ब्रिटिश शासन के दौरान इलाहाबाद नगरपालिका समिति के अध्यक्ष के रूप में काम किया था।

स्थानीय शासन का एक अन्य लाभ भी है। यह केन्द्रीय तथा राज्य सरकार के भार को कम करता है। यदि स्थानीय सरकारें न हों, तो बिजली, पानी, सड़क, सफ़ाई इत्यादि कार्यों की जिम्मेदारी भी केन्द्र तथा राज्य सरकार पर आ जाएगी। स्थानीय शासन केन्द्र तथा राज्य सरकार को इन परेशानियों से बचाती है।

इन सब कारणों से भारत में पंचायती राज की स्थापना की गई है। आओ अब जाने पंचायती राज क्या है?

पंचायती राज क्या है?

आस-पास के गाँवों की कुछ सामान्य समस्याएँ होती हैं। अतः कुछ गाँवों को मिला कर एक क्षेत्र अथवा ब्लॉक बना दिया जाता है। इस क्षेत्र अथवा ब्लॉक के विकास के लिए एक समिति काम करती है जिसे क्षेत्र या **ब्लॉक समिति** कहते हैं।

कुछ कार्य ब्लॉक समिति के लिए करना संभव नहीं है। इसलिए कुछ समितियों को मिला कर एक **ज़िला परिषद्** बनाई जाती है। ज़िला स्तर पर काम करने वाली संस्था को ज़िला परिषद् कहते हैं। इस प्रकार ग्रामीण क्षेत्र में सामुदायिक विकास के लिए तीन संस्थाएँ काम करती हैं। ग्राम स्तर पर **ग्राम पंचायत**, क्षेत्र स्तर पर **ब्लॉक समिति** और ज़िला स्तर पर **जिला परिषद्**। स्थानीय शासन की इन तीनों संस्थाओं को मिला कर पंचायती राज कहा जाता है। इस प्रकार पंचायती राज व्यवस्था में सरकार तीन स्तरों पर काम करती है।

> उन राज्यों का पता लगाओ जहाँ पंचायती राज की त्रि-प्रणाली व्यवस्था नहीं अपनाई गई।

ब्लॉक समिति की रचना

ब्लॉक स्तर पर जो समिति काम करती है उसे अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग नामों से पुकारा जाता है। किसी राज्य में उसे **खंड समिति** कहते हैं तो किसी राज्य में **क्षेत्र समिति**। किसी-किसी राज्य में इसे **पंचायत समिति** भी कहा जाता है। यह समिति ब्लॉक स्तर पर काम करती है, इसलिए हम इसे इस पुस्तक में ब्लॉक समिति ही कहेंगे। ब्लॉक समिति ग्राम पंचायत और ज़िला परिषद् के बीच की एक महत्त्वपूर्ण कड़ी है।

> तुम्हारे राज्य में ब्लॉक समिति को क्या कहा जाता है? तुम्हारे राज्य में कितने गाँवों को मिला कर एक ब्लॉक का निर्माण होता है?

भिन्न-भिन्न राज्यों में पंचायती राज के विषय में अलग-अलग कानून बनाए गए हैं। अतः भिन्न-भिन्न ब्लॉक समितियों और ज़िला परिषदों के चुनाव, संगठन और कार्यों आदि में अन्तर पाए जाते हैं।

ग्राम पंचायत के सदस्यों का चुनाव ग्रामीण जनता द्वारा किया जाता है, किन्तु ब्लॉक समिति के सदस्यों का चुनाव स्वयं जनता नहीं करती। एक ब्लॉक में स्थित ग्राम पंचायतों के प्रधान और पंच मिलकर ब्लॉक समिति के सदस्यों का चुनाव करते हैं। ब्लॉक समिति में इन ग्राम पंचायतों के प्रतिनिधियों के अतिरिक्त कुछ अन्य सदस्य भी होते हैं। एक राज्य की **विधानसभा** और **विधानपरिषद्** तथा भारत की **लोकसभा** और **राज्यसभा** के वे सदस्य भी जो किसी ब्लॉक से सम्बन्धित हों, ब्लॉक समिति के

चित्र 8 :
पंचायती राज

सदस्य होते हैं।

प्रत्येक ब्लॉक समिति में कम से कम दो स्त्रियों तथा अनुसूचित और जनजातियों के चार प्रतिनिधियों का होना भी जरूरी है। यदि ब्लॉक समिति में ये सदस्य न हों तो समिति के सदस्य स्वयं उनका चुनाव कर सकते हैं।

ब्लॉक समिति के सभी सदस्य मिलकर एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष का चुनाव करते हैं। ब्लॉक समिति का अध्यक्ष समिति के दैनिक कार्यों की देखभाल करता है। यदि समिति के सदस्य अध्यक्ष के काम से सन्तुष्ट न हों तो वे उसके विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पास कर सकते हैं। इस प्रस्ताव के पास हो जाने पर अध्यक्ष को अपने पद से तुरन्त हटना पड़ता है। अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष अध्यक्ष के सभी काम संभालता है। ब्लॉक समिति के निर्णय बहुमत द्वारा लिए जाते हैं।

ब्लॉक समिति के सदस्यों का चुनाव प्रति पाँच वर्ष के बाद होता है। इस प्रकार ब्लॉक समिति के सदस्य पाँच वर्ष के लिए चुने जाते हैं।

> अपने आस-पास के क्षेत्र में ब्लॉक समिति के कुल सदस्यों की संख्या का पता लगाओ। यह जानकारी भी प्राप्त करो कि उन्हें किस आधार पर ब्लॉक समिति का सदस्य बनाया गया है?

ब्लॉक समिति के कार्य

तुमने पिछले पाठ में पढ़ा था कि ग्राम पंचायत अपने गाँव की सफ़ाई, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि का प्रबन्ध करती है। गाँव के और अधिक विकास के लिए तकनीकी सलाह और धन की आवश्यकता होती है। ब्लॉक समिति के पास कई प्रकार के विशेषज्ञ होते हैं जैसे कृषि-विशेषज्ञ, शिक्षा-विशेषज्ञ, पशु-चिकित्सक, इत्यादि। ये विशेषज्ञ ब्लॉक समिति के क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाले गाँवों में जाकर गाँवों के विकास में ग्रामीण जनता की सहायता करते हैं। किसानों को उत्तम और सुधरे बीज दिलवाना, खाद इत्यादि वितरित करना, शिक्षा का प्रचार करना, बीमार जानवरों का इलाज करना, जानवरों की नस्ल सुधारना इत्यादि काम विशेषज्ञों द्वारा किए जाते हैं। ये विशेषज्ञ लोगों को रोग निरोधक टीकों की जानकारी देते हैं। वे परिवार कल्याण कार्यक्रम के विषय में लोगों को बतलाते हैं।

ब्लॉक समिति का सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण काम ग्राम पंचायतों को राज्य सरकार से धन दिलवाना है। ब्लॉक समिति ही ग्राम पंचायत के कार्यों की देख-रेख करती है।

समिति के आय के साधन

ब्लॉक समिति को अपने क्षेत्र के विकास के लिए काफी धन खर्च करना पड़ता है। वह इस धन को दो मुख्य साधनों द्वारा इकट्ठा करती है। एक तो कर लगा कर और दूसरे राज्य सरकार से अनुदान तथा वित्तीय सहायता प्राप्त करके। ब्लॉक समिति मकान और जमीन पर कर लगा सकती है और

बिजली पानी आदि सेवाओं के लिए उनका उपयोग करने वाले व्यक्तियों से उनका खर्च ले सकती है। ब्लॉक समिति मेलों और बाज़ारों पर कर लगा सकती है और जनता से चंदा अथवा ऋण के रूप में सहायता प्राप्त कर सकती है।

कई राज्यों में वहाँ की सरकार लगान का कुछ हिस्सा ब्लॉक समिति को अनुदान के रूप में दे देती है। इसके अतिरिक्त भी राज्य सरकार कई तरह से इन संस्थाओं की आर्थिक सहायता करती है।

ब्लॉक समिति और सामुदायिक विकास

ब्लॉक समिति और सामुदायिक विकास एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जैसा कि हम देख चुके हैं सामुदायिक विकास योजना स्वतन्त्रता प्राप्ति के तुरन्त बाद लागू की गई थी। बाद में, सामुदायिक विकास कार्यों में जनता का सहयोग प्राप्त करने के लिए ब्लॉक समितियाँ और ज़िला परिषदें बनाई गईं।

क्षेत्र विकास अधिकारी (बी.डी.ओ.) सामुदायिक विकास का सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी होता है। वह ब्लॉक समिति के साथ ही काम करता है। जिस प्रकार प्रत्येक ग्राम पंचायत अपने विकास की योजना बनाती है उसी प्रकार प्रत्येक ब्लॉक समिति इन विकास योजनाओं के आधार पर अपने ब्लॉक के विकास की योजना बनाती है। इस विकास योजना को क्रियान्वित करना बी.डी.ओ. का प्रमुख कार्य है। ब्लॉक समिति की सफलता समिति के प्रधान और बी.डी.ओ. पर निर्भर करती है। यदि ये दोनों मिल कर सहयोग करें तो उस ब्लॉक का विकास कार्य अच्छी प्रकार हो सकता है।

ज़िला परिषद्

ज़िला परिषद् पंचायती राज व्यवस्था की तीसरी और सर्वोच्च श्रेणी है। भारत की स्वतन्त्रता से पहले भी ज़िला प्रशासन की महत्त्वपूर्ण इकाई रहा है। इस स्तर पर स्थानीय प्रशासन के सभी महत्त्वपूर्ण अधिकारी जैसे कलेक्टर, ज़िला न्यायाधीश इत्यादि काम करते हैं। ज़िले का मुख्य कार्यालय जनता का जाना पहचाना स्थान होता है क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति को किसी न किसी काम से यहाँ आना पड़ता है। अतः इस स्तर पर पंचायती राज की एक श्रेणी बनाना बहुत जरूरी था।

रचना

ज़िला परिषद् की रचना ब्लॉक समिति की रचना जैसी ही होती है। जो व्यक्ति ब्लॉक समितियों के प्रमुख चुने जाते हैं वे ज़िला परिषद् के सदस्य बन जाते हैं। एक ज़िले से जो व्यक्ति राज्य की विधानसभा अथवा विधानपरिषद् तथा लोकसभा अथवा राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं। वे भी ज़िला परिषद् के सदस्य होते हैं। ब्लॉक समिति की तरह ज़िला परिषद् में भी स्त्रियों तथा अनुसूचित जातियों को प्रतिनिधित्व प्राप्त होता है।

ज़िला परिषद् की रचना और कार्यों के विषय में विभिन्न राज्यों में अलग-अलग कानून बनाए गए हैं। उदाहरण के लिए महाराष्ट्र राज्य में ज़िला परिषद् के कुछ सदस्यों का चुनाव स्वयं जनता करती है। ज़िला परिषद् अपने सदस्यों में से एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष का चुनाव करती है। अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष को अविश्वास प्रस्ताव द्वारा हटाया भी जा सकता है। सभी निर्णय बहुमत से लिए जाते हैं।

कार्य

ज़िला परिषद् का प्रमुख कार्य ग्राम पंचायत और ब्लॉक समिति के कार्यों की देख-रेख करना है। वह ग्राम पंचायत और ब्लॉक समिति के कार्यों के विषय में राज्य सरकार को सलाह देती है। पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत आने वाले सभी कार्यक्रमों को क्रियान्वित करना ज़िला परिषद् का काम है। वह ज़िले स्तर पर होने वाले कृषि सम्बन्धी उत्पादन और अन्य विकास कार्यों पर निगाह रखती है। ज़िला परिषद् अपने ज़िले के लिए व्यापक योजना तैयार करती है। यह योजना ब्लॉक समितियों द्वारा बनाई गई योजनाओं पर आधारित होती है।

> पंचवर्षीय योजना से क्या तात्पर्य है? इस विषय पर जानकारी प्राप्त करो। क्या ब्लाक समिति या ज़िला परिषद् का कोई अधिकारी तुम्हारे विद्यालय में कभी आया है?

आय के साधन

ब्लॉक समिति की भांति ज़िला परिषद् भी कर और अनुदान के रूप में आय प्राप्त करती है। ज़िला परिषद् को राज्य सरकार से अनुदान और वित्तीय सहायता प्राप्त होती है। इसके अतिरिक्त ज़िला परिषद् को अपने मकानों और दुकानों से किराया भी मिलता है।

पंचायती राज और राज्य सरकार

तुमने अपनी प्राथमिक कक्षाओं में भारतीय संविधान के विषय में पढ़ा होगा। हमारा संविधान केन्द्रीय और राज्य सरकारों को प्रत्येक ग्राम में ग्राम पंचायत स्थापित करने का निर्देश देता है। इस निर्देश में यह भी कहा गया है कि इन ग्राम पंचायतों को और अधिक अधिकार दिए जाने चाहिएँ ताकि इन्हें मजबूत बनाया जा सके।

इस निर्देश के अन्तर्गत राज्य सरकारें पंचायती राज की सभी संस्थाओं को मजबूत बनाने के लिए हर तरह की सहायता देती हैं। पंचायती राज की संस्थाएँ अभी हाल ही में अपनाई गई हैं। हमारी जनता इनसे पूरी तरह परिचित नहीं है। हमारे गाँवों के अधिकतर लोग निरक्षर और गरीब हैं। अतः राज्य सरकार को चाहिए कि वह पंचायती राज की संस्थाओं पर कठोर निगरानी रखे और उनकी उचित देख-रेख करे।

ज़िला स्तर पर **कलेक्टर** या **डिप्टी कमिश्नर** राज्य सरकार का प्रतिनिधि होता

है। कलेक्टर जिले के प्रशासन की देखभाल करता है। वह सरकारी अधिकारियों और पंचायती राज्य की संस्थाओं के बीच सहयोग और समन्वय लाने का प्रयास करता है। बी.डी.ओ. भी ब्लॉक स्तर पर इसी तरह का काम करता है। बी.डी.ओ. राज्य सरकार का अधिकारी होता है। वह ब्लॉक समिति और ब्लॉक के विशेषज्ञों के बीच समन्वय स्थापित करने की चेष्टा करता है।

अभ्यास

1. हमें स्थानीय शासन की आवश्यकता क्यों है? समझाओ।
2. पंचायती राज की तीन संस्थाएँ कौन-कौन सी हैं? ये संस्थाएँ किन-किन स्तरों पर काम करती हैं?
3. ब्लॉक समिति किस प्रकार संगठित की जाती है? ब्लॉक समिति के मुख्य कार्य कौन-कौन से हैं?
4. ज़िला परिषद् की रचना किस प्रकार होती है?
5. पंचायती राज और राज्य सरकार के परस्पर सम्बन्ध किस प्रकार के हैं?

शहरों में बड़ी तेज़ी से कूड़ा-कचरा जमा होता है। इससे कई तरह की बीमारियों के फैलने का डर रहता है। नगरपालिकाएँ इस कूड़े को हटाने का प्रबन्ध करती हैं। गंदे पानी को शहर या गाँव से बाहर ले जाने के लिए नालियों की जरूरत पड़ती है। अच्छे स्वास्थ्य के लिए हवादार मकान भी चाहिए। नगरपालिकाएँ इस विषय में अनेक कानून बनाती हैं। वे खाने-पीने की वस्तुओं में मिलावट को रोकने के लिए भी कार्यवाही करती हैं।

नगरपालिकाएँ जनता को महामारी

चित्र 9 : नगरपालिकाओं के कार्य

और दूसरे रोगों से बचाने के लिए चेचक, हैज़ा, तपेदिक आदि के टीकों का भी प्रबन्ध करती हैं। वे सार्वजनिक मूत्रालयों और शौचालयों की व्यवस्था भी करती हैं। बीमारों की देखभाल के लिए नगरपालिकाएँ औषधालय और अस्पताल भी खोलती हैं।

सार्वजनिक सुविधाएँ

सार्वजनिक सुविधा के लिए अच्छी और चौड़ी सड़कों की आवश्यकता है। टूटी-फूटी सड़कें सभी के लिए असुविधाजनक होती हैं। शहरों में सड़कों की मरम्मत आदि का कार्य नगरपालिकाओं द्वारा ही पूरा किया जाता है। सड़कों के साथ-साथ घरों, सरकारी और व्यापारी कार्यालयों तथा उद्योग-धन्धों में बिजली और पानी की आवश्यकता होती है। अतः नगरपालिकाएँ बिजली और पानी की व्यवस्था भी करती हैं। इसके अतिरिक्त नगरपालिकाएँ श्मशान भूमि, कब्रिस्तान और विद्युत शव दाह गृह का भी प्रबन्ध करती हैं।

सार्वजनिक शिक्षा

शिक्षा का मानव जीवन में बहुत महत्त्वपूर्ण स्थान है। शिक्षा व्यक्ति को कई प्रकार के हुनर सिखाती है। वह उसे अच्छा नागरिक बनाती है। शिक्षा से जीवन सुखी और समृद्ध होता है तथा समाज की उन्नति होती है। जनता को शिक्षा प्रदान करने के लिए नगरपालिकाएँ स्कूलों का प्रबन्ध करती हैं।

शिक्षा का क्षेत्र केवल स्कूल की चार-दीवारी तक ही सीमित नहीं होता। पुस्तकालय, अजायबघर, चिड़ियाघर इत्यादि संस्थाएँ भी शिक्षा प्रदान करती हैं। इनका संचालन भी नगरपालिकाओं द्वारा ही किया जाता है।

ऐच्छिक कार्य

आग बुझाने के लिए दमकलों या फायर इंजनों का प्रबन्ध करना, उद्यानों का निर्माण करना, अजायबघरों तथा सार्वजनिक स्नानागारों का प्रबन्ध करना आदि नगरपालिकाओं के ऐच्छिक कार्य माने जाते हैं।

> यदि तुम्हारी सड़क की नाली रुक जाए और गंदा पानी सड़क पर फैलना शुरू हो जाए तो तुम किसके पास जाओगे?

आय के साधन

नगरपालिकाओं और नगर निगमों की आय के मुख्य साधन इस प्रकार हैं :

(क) नगर में बाहर से आने वाले माल पर चुंगी कर।
(ख) मकानों और जमीनों पर कर। इसे सम्पत्ति कर कहते हैं।
(ग) व्यापार और व्यवसाय पर कर।
(घ) पानी की सुविधा प्रदान करने की फीस।
(ङ) रोशनी और सफ़ाई की सुविधा

7
अध्याय
नगरपालिकाएँ और नगर निगम

कुछ विषय ऐसे हैं जिनका सम्बन्ध हमारे दैनिक जीवन से है जैसे पीने का पानी, रोशनी, साफ सड़कें और गलियाँ, औषधालय, शिक्षा, पार्क इत्यादि। तुम पहले ही जान चुके हो कि ग्रामीण क्षेत्रों में इनका प्रबन्ध कौन-कौन सी संस्थाएँ करती हैं। शहरी क्षेत्रों में इन सब सुविधाओं की व्यवस्था **नगरपालिकाएँ** और **नगर निगम** करते हैं।

नगरों की जनसंख्या अधिक होती है और उनकी समस्याएँ भी जटिल होती हैं। इन समस्याओं के समाधान के लिए इन्हें अधिक धन की आवश्यकता पड़ती है। अतः नगरों का स्थानीय शासन गाँवों के स्थानीय शासन से भिन्न होता है। शहरों में स्थानीय संस्थाओं का स्वरूप किस प्रकार का होगा यह इस बात पर निर्भर करता है कि वहाँ की जनसंख्या कितनी है? शहरों की स्थानीय संस्थाओं को नगरपालिका अथवा नगर-पालिका समिति कहते हैं। बड़े-बड़े नगरों की स्थानीय संस्थाओं को **नगर निगम, महानगरपालिका** अथवा **कार्पोरेशन** कहते हैं। भारत में 50 से भी अधिक नगर निगम हैं। ये बड़े-बड़े नगरों में हैं जैसे दिल्ली, कलकत्ता, बम्बई, मद्रास, कानपुर, लखनऊ इत्यादि।

अपने आस-पास के उन दो शहरों के नाम बताओ जहाँ नगरपालिका समितियाँ काम करती हों। उन दो शहरों के भी नाम बताओ जहाँ नगर निगम काम करते हों।

नगरपालिका

नगरपालिका के अधिकतर सदस्य अपने नगर की जनता द्वारा चुने जाते हैं। इन सदस्यों की संख्या नगर की कुल जनसंख्या पर निर्भर करती है। प्रायः इनकी संख्या पन्द्रह से लेकर साठ तक होती है। चुनाव के लिए प्रत्येक शहर को अनेक वार्डों में बाँट दिया जाता है। कुछ स्थान अनुसूचित जातियों के लिए सुरक्षित रखे जाते हैं। नगरपालिका के चुनाव में उसी व्यक्ति को वोट डालने का अधिकार दिया जाता है जो भारत का नागरिक हो और उस शहर का रहने वाला हो। उसकी आयु 21 वर्ष हो।

उसका नाम मतदाता सूची में होना भी जरूरी है। नगरपालिका का सदस्य बनने के लिए कम से कम आयु 25 वर्ष निर्धारित की गई है। नगरपालिका में जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि कभी-कभी कुछ अनुभवी व्यक्तियों का चुनाव भी करते हैं। इन्हें विशिष्ट सदस्य (एल्डरमैन) कहा जाता है। ये सब मिल कर नगरपालिका बनाते हैं।

इनकी बैठकें नियमित रूप से होती हैं। इन बैठकों की अध्यक्षता एक प्रधान द्वारा की जाती है। प्रधान का चुनाव जनता अथवा जनता द्वारा चुने हुए सदस्यों द्वारा किया जाता है। प्रत्येक नगरपालिका एक उप-प्रधान का चुनाव भी करती है जो प्रधान की अनुपस्थिति में उसकी जिम्मेदारी निभाता है।

इन निर्वाचित सदस्यों के अतिरिक्त कुछ स्थाई सदस्य भी होते हैं जैसे अधिशासी अधिकारी (एक्जीक्यूटिव आफ़िसर), सचिव, स्वास्थ्य अधिकारी, सफ़ाई अधिकारी, म्यूनिसिपल इंजीनियर, ओवरसियर, चुंगी अधिकारी, शिक्षा-विशेषज्ञ आदि।

नगर निगम

नगर निगम के अध्यक्ष को महापौर (मेयर) कहा जाता है। महापौर का चुनाव नगर निगम के सदस्य करते हैं। महापौर के अतिरिक्त एक उप-महापौर तथा 50 से लेकर 150 तक सदस्य होते हैं। इनका चुनाव पाँच वर्ष के लिए किया जाता है। ये वयस्क मताधिकार के आधार पर चुने जाते हैं। नगर निगम के सदस्य कभी-कभी कुछ अनुभवी सदस्यों को भी चुनते हैं। इन्हें विशिष्ट सदस्य कहा जाता है। ये सब सदस्य मिल कर नगर निगम बनाते हैं।

नगर निगम का दिन-प्रतिदिन का कार्य कई तरह की समितियाँ करती हैं। इन समितियों में पाँच से बाहर तक सदस्य होते हैं। प्रत्येक समिति का एक अध्यक्ष होता है। इन समितियों में शिक्षा समिति, स्वास्थ्य समिति, निर्माण समिति इत्यादि प्रमुख हैं।

प्रत्येक नगर निगम में एक मुख्य पदाधिकारी होता है। यह पदाधिकारी जनता द्वारा निर्वाचित नहीं होता। इसकी नियुक्ति राज्य सरकार करती है। इसका मुख्य कार्य नगर निगम के निर्णयों को लागू करना है। इस कार्य में अन्य कई कर्मचारी उसकी सहायता करते हैं। उनमें इंजीनियर, डॉक्टर, शिक्षा-विशेषज्ञ आदि प्रमुख हैं। मुख्य पदाधिकारी विभिन्न विभागाध्यक्षों के काम की देख-रेख करता है।

कार्य

नगर निगम और नगरपालिका के कार्य लगभग समान हैं।

सार्वजनिक स्वास्थ्य

हम सब जानते हैं कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क होता है। स्वस्थ शरीर के बिना कोई भी व्यक्ति सुखी नहीं रह सकता। नागरिकों के अच्छे स्वास्थ्य के लिए सार्वजनिक स्थानों में सफ़ाई का होना बहुत जरूरी है।

शान्ति बनाए रखने में कहाँ तक सफल होता है। ज़िले में शान्ति और व्यवस्था बनाए रखने के लिए समस्त पुलिस कर्मचारी, पुलिस सुपरिंटेंडेंट, थानेदार इत्यादि ज़िला कलेक्टर की देख-रेख में काम करते हैं। ज़िले में पुलिस सुपरिंटेंडेंट सर्वोच्च पुलिस अधिकारी होता है। पुलिस सुपरिंटेंडेंट के अधीन अनेक पुलिस कर्मचारी होते हैं जैसे कि थानेदार, सिपाही, इत्यादि। इन सब का मुख्य काम अपने क्षेत्र में शान्ति और व्यवस्था बनाए रखना है।

प्रत्येक ज़िले में पाँच या छह सर्किल होती हैं। प्रत्येक सर्किल डिप्टी सुपरिंटेंडेंट की देख-रेख में काम करती है। प्रत्येक सर्किल में लगभग 10 थाने होते हैं जो कि एक पुलिस इंस्पेक्टर की देख-रेख में काम करते हैं। पुलिस इंस्पेक्टर के अधीन सब इंस्पेक्टर, सहायक सब इंस्पेक्टर, हेड कांस्टेबल और कुछ सिपाही होते हैं। प्रत्येक गाँव में पुलिस की ओर से एक चौकीदार नियुक्त किया जाता है। वह अपराधियों को पकड़वाने में पुलिस की सहायता करता है।

तुम्हारा क्षेत्र कौन से पुलिस स्टेशन के अन्तर्गत आता है?

पुलिस का मुख्य कार्य हमारी मदद करना और हमारे अधिकारों की रक्षा करना है। इसी प्रकार हमारा भी कर्तव्य है कि शान्ति और व्यवस्था बनाएं रखने में हम पुलिस की सहायता करें। हमारी सहायता से ही पुलिस अपना काम सुचारु रूप से कर सकती है। अपराधियों का पता बता कर, उन्हें किसी प्रकार की सहायता अथवा शरण न देकर अथवा न्यायालय में उनके विरुद्ध गवाही देकर हम पुलिस के कार्य में सहयोग कर सकते हैं।

प्रत्येक ज़िले में एक जेल होती है। जो व्यक्ति कानूनों का उल्लंघन करते हैं उन्हें जेल में रखा जाता है। जेल के सर्वोच्च अधिकारी को 'जेलर' कहते हैं। उसके अधीनस्थ अधिकारी को 'डिप्टी जेलर' कहते हैं। स्त्रियों और पुरुषों के लिए अलग-अलग जेलों की व्यवस्था की जाती है, किन्तु जहाँ ऐसा संभव नहीं होता, वहाँ उनके लिए ज़िला जेल में ही अलग वार्ड बना दिया जाता है। अपराधियों को सुधारने के लिए प्रयत्न किए जाते हैं। उन्हें दरी, कालीन आदि बुनने तथा लकड़ी का सामान बनाने जैसे कामों का प्रशिक्षण देकर अच्छा नागरिक बनाने का प्रयत्न किया जाता है।

भूमि सम्बन्धी रिकार्डों की देखभाल और भूमि कर की वसूली

ज़िला प्रशासन का दूसरा प्रमुख कार्य भूमि सम्बन्धी रिकार्डों की देखभाल करना और भूमि कर वसूल करना है। भूमि-सम्बन्धी मामलों की देखभाल तथा भूमि-सम्बन्धी झगड़ों का फैसला तहसीलदार, नायब तहसीलदार, कानूनगो तथा लेखपाल (पटवारी) द्वारा किया जाता है। ये सभी आफ़िसर कलेक्टर की मदद करते हैं।

प्रत्येक ज़िला कुछ तहसीलों में बँटा होता है। प्रत्येक तहसील में कुछ परगने और अनेक गाँव होते हैं। हमारा देश कृषि प्रधान देश है। अत: कृषि योग्य भूमि का वर्गीकरण, उसका नाप, उसमें पैदा होने वाली उपज तथा लगान (भूमि कर) की वसूली का ब्यौरा रखना बहुत जरूरी होता है। तहसील स्तर पर इन कार्यों की देख-रेख तहसीलदार द्वारा की जाती है। नायब तहसीलदार, कानूनगो और लेखपाल इस कार्य में उसकी मदद करते हैं। लेखपाल (पटवारी) तीन या चार गाँवों के भूमि सम्बन्धी कागज़ात रखता है।

ज़िला प्रशासन को कभी-कभी अचानक आई विपत्तियों का सामना भी करना पड़ता है। ऐसी विपत्तियों में अकाल, महामारी और बाढ़ प्रमुख हैं। कलेक्टर और अन्य ज़िला अधिकारी ऐसे समय में यथासम्भव सहायता करते हैं। ऐसे समय में हमें भी ज़िला प्रशासन की हर संभव सहायता करनी चाहिए।

नागरिक सुविधाएँ और विकास

ज़िला प्रशासन का तीसरा प्रमुख कार्य नागरिक सुविधाएँ और सेवाएँ प्रदान करना और ज़िले का सम्पूर्ण विकास करना है। नागरिक सुविधाओं के अन्तर्गत स्वास्थ्य, शिक्षा, यातायात का प्रबन्ध, सरकारी इमारत और सड़कों की देखभाल इत्यादि कार्य सम्मिलित हैं। ज़िले में स्वास्थ्य सेवाओं की देखभाल का मुख्य उत्तरदायित्व 'सिविल सर्जन' का होता है। सिविल सर्जन ज़िले के सभी सरकारी अस्पतालों और दवाखानों की देखभाल करता है।

ज़िला स्तर पर शिक्षा विभाग की देखभाल ज़िला शिक्षा अधिकारी द्वारा की जाती है। उसका प्रमुख कार्य स्कूलों का निरीक्षण करना और शिक्षा विभाग की देखभाल करना है।

> क्या कभी कोई इंस्पेक्टर तुम्हारे स्कूल में आया? क्या वह तुम्हारी कक्षा में भी आया था?

सरकारी इमारतों के निर्माण और देखभाल की जिम्मेदारी **सार्वजनिक निर्माण विभाग** की होती है। इस विभाग का मुख्य अधिकारी कार्यकारी इंजीनियर होता है।

कलेक्टर और पंचायती राज

हम पहले पढ़ चुके हैं कि कलेक्टर ज़िला प्रशासन का मुख्य अधिकारी होता है। वह राज्य सरकार की ओर से ज़िले के प्रशासन की देख-रेख करता है। इस नाते वह पंचायती राज और अन्य स्थानीय संस्थाओं के कार्यों पर भी नजर रखता है। वह इन संस्थाओं के चुनाव का भी प्रबन्ध करता है। यदि ये संस्थाएँ ठीक तरह काम न कर रही हों तो कलेक्टर राज्य सरकार को रिपोर्ट कर सकता है और इन संस्थाओं को भंग करा सकता है।

आधुनिक युग में ज़िले का प्रशासन बहुत जटिल और कठिन हो गया है। ऐसी दशा में ज़िले के प्रशासन की जिम्मेदारी

प्रदान करने की फीस।

(च) नगरपालिका की जायदाद जैसे मार्केट और मकानों इत्यादि से प्राप्त किराए की आमदनी।

इसके अतिरिक्त नगरपालिकाओं को राज्य सरकार से वार्षिक अनुदान भी प्राप्त होता है। वे राज्य सरकार की अनुमति से ऋण भी ले सकती हैं।

स्थानीय संस्थाओं पर नियन्त्रण

केन्द्रीय अथवा राज्य सरकार नगर-पालिकाओं और नगर निगमों के कार्यों का निरीक्षण करती हैं। यदि ये सरकारें किसी नगरपालिका अथवा नगर निगम के कार्यों से सन्तुष्ट न हों तो वे इनके विरुद्ध कार्यवाही कर सकती है। सरकार इन्हें भंग भी कर सकती है। वास्तव में, स्थानीय संस्थाओं और राज्य सरकार में सम्बन्ध परस्पर सहयोग पर आधारित होते हैं, संघर्ष पर नहीं। दोनों का उद्देश्य एक ही है– जनता की सेवा और देश की उन्नति। अतः इनमें आपसी सहयोग का होना बहुत जरूरी है।

अभ्यास

1. नगर निगम और नगरपालिका में क्या अन्तर होता है?
2. नगरपालिका का गठन किस प्रकार होता है?
3. नगर निगम का गठन किस प्रकार होता है?
4. नगरपालिका के चार स्थाई अधिकारियों के नाम बताओ।
5. नगरपालिका अथवा नगर निगम क्या-क्या कार्य करता है?
6. नगरपालिका की आय के मुख्य स्रोत क्या हैं?

8
अध्याय
जिला प्रशासन

हमारा देश विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। हमारे देश का क्षेत्रफल लगभग 33 लाख वर्ग किलोमीटर है। अत: एक ही स्थान से इतने बड़े देश का प्रशासन चलाना संभव नहीं है। आज के युग में सरकार के कार्य कई गुना बढ़ गए हैं। इन्हें पूरा करने के लिए लाखों कर्मचारियों और ढेर सारे धन की आवश्यकता पड़ती है। हमारे देश में 25 राज्य हैं। इन राज्यों को प्रशासन की सुविधा के लिए अनेक ज़िलों, सब-डिवीजनों, तहसीलों और परगनों में बाँट दिया जाता है। प्रत्येक भाग एक सरकारी अधिकारी की देख-रेख में कार्य करता है। इन इकाइयों में ज़िला एक महत्त्वपूर्ण इकाई है। ज़िले के समुचित प्रशासन पर ही सारे राज्य की उन्नति निर्भर करती है। अत: हमें ज़िले के प्रशासन की जानकारी प्राप्त करनी चाहिए।

ज़िला प्रशासन के तीन प्रमुख कार्य हैं। पहला कार्य शान्ति और व्यवस्था बनाए रखना है, दूसरा कार्य ज़िले में विद्यमान भूमि का रिकार्ड रखना और किसानों से भूमि कर वसूल करना है और तीसरा कार्य नागरिक सुविधाएँ और सेवाएँ प्रदान करना है और सभी क्षेत्रों में ज़िले के विकास का प्रयास करना है।

ज़िले के प्रशासन को सुचारु रूप से चलाने के लिए सैकड़ों कर्मचारी कार्य करते हैं। इन कर्मचारियों में **ज़िलाधीश** (कहीं-कहीं पर इसे **डिप्टी कमिश्नर** या **कलेक्टर** भी कहा जाता है) का पद सर्वोच्च होता है। इस पद पर बहुत ही कुशल और अनुभवी कर्मचारी नियुक्त किया जाता है। वह ज़िले के सभी कार्यों की देखभाल करता है। ज़िले में डिप्टी कलेक्टर, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, कानूनगो, लेखपाल, नियोजन अधिकारी, पुलिस सुपरिंटेंडेंट, डिप्टी पुलिस सुपरिंटेंडेंट, थानेदार, जेलर, सिविल सर्जन, ज़िला विद्यालय निरीक्षक, कृषि अधिकारी इत्यादि कर्मचारी भी काम करते हैं।

कानून और व्यवस्था की स्थापना

कलेक्टर का सबसे पहला और मुख्य काम ज़िले में शान्ति और व्यवस्था कायम रखना है। ज़िला कलेक्टर की सफलता इस बात से जानी जा सकती है कि वह ज़िले में

कलेक्टर अथवा डिप्टी कमिश्नर
शान्ति और व्यवस्था बनाए रखना
सुपरिंटेंडेंट पुलिस
जेलर
सहायक जेलर
डिप्टी सुपरिंटेंडेंट पुलिस
इंस्पेक्टर
सहायक इंस्पेक्टर
सहायक सब इंस्पेक्टर
हेड कांस्टेबल
कांस्टेबल
चौकीदार
भूमि का रिकार्ड रखना और भूमि कर प्राप्त करना
तहसीलदार
नायब तहसीलदार
कानूनगो
पटवारी अथवा लेखपाल
नागरिक सुविधाएँ और विकास
ज़िला सिविल सर्जन अथवा मुख्य चिकित्सा अधिकारी
ज़िला विद्यालय निरीक्षक
ज़िला नियोजन अधिकारी
कार्यकारी इंजीनियर
शहरी स्थानीय संस्थाएँ और पंचायती राज संस्थाएँ

सरकारी कर्मचारियों पर ही नहीं छोड़ी जा सकती। नागरिकों को भी इस काम में पूरा सहयोग करना चाहिए।

ज़िले में न्यायिक प्रशासन

प्रत्येक ज़िले में न्याय करने के लिए पृथक न्यायिक प्रशासन की व्यवस्था की जाती है। कभी-कभी नागरिकों में आपस में अथवा सरकार और नागरिकों के बीच भूमि अथवा सम्पत्ति को लेकर झगड़े उत्पन्न हो जाते हैं जिसके कारण मुकद्दमेबाज़ी शुरू हो जाती है। ये मुकद्दमें दो प्रकार के होते

हैं– **दीवानी** और **फौजदारी**। दीवानी मुकद्दमों का फैसला **दीवानी न्यायालय** करते हैं। फौजदारी मुकद्दमों का फैसला **फौजदारी न्यायालयों** में होता है।

दीवानी न्यायालयों में उन मुकद्दमों की सुनवाई होती है जिनका सम्बन्ध जायदाद, रुपए के लेन-देन इत्यादि से होता है। फौजदारी न्यायालयों में उन मुकद्दमों की सुनवाई होती है जिनका सम्बन्ध चोरी, मारपीट, हत्या इत्यादि से होता है।

एक ज़िले में ज़िला जज के न्यायालय का स्थान सर्वोच्च होता है। यह न्यायालय ज़िले में स्थित दीवानी और फौजदारी न्यायालयों का निरीक्षण करता है। दीवानी न्यायालयों में सिविल जज और मुंसिफ आदि की अदालतें होती हैं। फौजदारी न्यायालयों में सेशन जज का न्यायालय सबसे बड़ा न्यायालय होता है। इसमें फौजदारी के संगीन मुकद्दमे जैसे हत्या, बड़ी डकैती आदि की सुनवाई होती है। सेशन जज की अदालतों के नीचे प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय श्रेणी के मजिस्ट्रेटों की अदालतें होती हैं। प्रथम श्रेणी का मजिस्ट्रेट दो वर्ष तक की सजा और एक हज़ार रुपए तक का जुर्माना कर सकता है। द्वितीय श्रेणी का मजिस्ट्रेट छह महीने तक की सज़ा और दो सौ रुपए तक का जुर्माना कर सकता है। तृतीय श्रेणी का मजिस्ट्रेट एक महीने तक की सज़ा और पचास रुपए तक का जुर्माना कर सकता है। छोटे मुकद्दमें ग्राम स्तर पर न्याय. पंचायतों द्वारा सुलझाए जाते हैं।

ज़िले के सभी न्यायालय राज्य के उच्च न्यायालय की देख-रेख में काम करते हैं।

अभ्यास

1. प्रशासन के दृष्टिकोण से भारत को किस तरह बाँटा गया है?
2. एक ज़िले के चार बड़े सरकारी अधिकारियों के नाम बताओ।
3. कलेक्टर या जिलाधीश के प्रमुख कार्य बताओ।
4. जिले में शान्ति और व्यवस्था बनाए रखने में पुलिस किस प्रकार सहायता पहुँचाती है?
5. अपराधियों को अच्छा नागरिक बनाने के लिए जेल अधिकारियों द्वारा क्या कदम उठाए जाते हैं?
6. भूमि सम्बन्धी रिकार्डों की देखभाल करने तथा भू-राजस्व इकट्ठा करने में कौन-कौन अधिकारी कलेक्टर की मदद करते हैं?
7. दो प्रकार के मुकद्दमें किस प्रकार के होते हैं? सेशन जज की अदालत में किस प्रकार के मुकद्दमों की सुनवाई होती है?
8. कलेक्टर और पंचायती राज में क्या सम्बन्ध है?

9

अध्याय

सार्वजनिक सम्पत्ति

तुम्हारी पुस्तकें, रबड़, पेन्सिल इत्यादि तुम्हारी **निजी सम्पत्ति** हैं। इन वस्तुओं पर तुम्हारा निजी अधिकार है। तुम्हारी अनुमति के बिना कोई अन्य इनका उपयोग नहीं कर सकता। तुम्हारे घर की वस्तुएँ जैसे कि कपड़े, चारपाई, मेज़, कुर्सी, बर्तन, रेडियो इत्यादि तुम्हारी निजी सम्पत्ति है। इन वस्तुओं का उपयोग केवल तुम्हारे घर के सदस्यों द्वारा किया जाता है। यदि तुम्हारे अपने परिवार की कोई वस्तु खो जाए तो इसका तुम्हें और तुम्हारे परिवार को बेहद दुख पहुँचेगा।

हम प्रतिदिन सड़कों, रेलों, बसों, पानी, बिजली, स्कूलों, कालिजों, अस्पतालों और खेल के मैदानों का उपयोग करते हैं। हम और हमारी सरकार ने मिल कर इस सम्पत्ति का निर्माण किया है। हमारे पूर्वजों ने भी अनेक ऐतिहासिक स्थान बना कर हमें दिए जैसे कि मन्दिर, मस्जिद, गिरजे, गुरुद्वारे, किले, मीनारें, पुराने महल इत्यादि। इन्हें बनाने में काफ़ी धन और समय लगा। यह सम्पत्ति किसी एक व्यक्ति की नहीं है। इस पर हम सबका अधिकार है। जिस सम्पत्ति पर हम सबका अधिकार होता है उसे हम **सार्वजनिक या राष्ट्रीय सम्पत्ति** कहते हैं।

वे सब वस्तुएँ जिन पर तुम्हारा अथवा तुम्हारे परिवार का अधिकार होता है, **निजी सम्पत्ति** कहलाती हैं। तुम उसे **व्यक्तिगत सम्पत्ति** भी कह सकते हो। वह सम्पत्ति जिस पर हम सभी का समान अधिकार होता है, **सार्वजनिक या राष्ट्रीय सम्पत्ति** कहलाती है। राष्ट्रीय सम्पत्ति पर किसी एक व्यक्ति का अधिकार नहीं होता। यह समस्त समुदाय की सम्पत्ति मानी जाती है।

सार्वजनिक सम्पत्ति

सार्वजनिक सम्पत्ति दो प्रकार की होती हैं। पहले प्रकार की सम्पत्ति में सड़कों, बसों, रेलों, पीने के पानी की बड़ी टंकियों, बिजली के कारखानों, स्कूलों, अस्पतालों, पार्कों इत्यादि का उल्लेख किया जा सकता है। हम दिन-प्रतिदिन के जीवन में इस प्रकार की सम्पत्ति का प्रयोग करते हैं। दूसरी प्रकार की सम्पत्ति में ऐतिहासिक स्थानों और इमारतों का उल्लेख किया जा सकता है।

सार्वजनिक सम्पत्ति की रक्षा

यदि तुम्हारी निजी सम्पत्ति को कोई नुकसान पहुँचता है तो तुम्हें और तुम्हारे परिवार को कष्ट पहुँचता है, किन्तु सार्वजनिक सम्पत्ति को नुकसान पहुँचाने का अर्थ है–हम सभी का नुकसान। अतः सार्वजनिक सम्पत्ति की रक्षा करना हम सब की जिम्मेदारी बनती है।

स्कूल की सम्पत्ति

प्रत्येक स्कूल में कुर्सियाँ, मेजें, डेस्क, श्यामपट्ट, पुस्तकालय और प्रयोगशाला होती हैं। ये सब स्कूल की सम्पत्ति है। ये सब वस्तुएँ विद्यार्थियों द्वारा दी जाने वाली फीस और सरकारी अनुदानों की मदद से जोड़ी जाती हैं। अतः इन वस्तुओं को नुकसान पहुँचाने से हमारा अपना नुकसान होता है।

कुछ विद्यार्थी स्कूल की सम्पत्ति को नुकसान पहुँचाते हैं। वे पुस्तकालय की पुस्तकों और पत्र-पत्रिकाओं के पन्ने फाड़ लेते हैं। प्रायः दीवार पर लगे चित्रों और नक्शों को फाड़ दिया जाता है। जो विद्यार्थी ऐसा करते हैं वे यह भूल जाते हैं कि उनके इन कार्यों से स्वयं उनका नुकसान होता है। इन सब वस्तुओं को बनाने में स्वयं उनके माता-पिता का पैसा लगा होता है। इसके अतिरिक्त उनके मित्रों और सहपाठियों को भी असुविधा होती है क्योंकि फाड़ी गई पुस्तकें किसी उपयोग की नहीं रह जातीं।

चित्र 10 :
हमारी सार्वजनिक सम्पत्ति

अपने स्कूल की सम्पत्ति जैसे कि फर्नीचर, पंखे, नल, शौचालय इत्यादि का ध्यानपूर्वक निरीक्षण करो। यह जानने का प्रयास करो कि विद्यार्थी किस प्रकार उनका दुरुपयोग करते हैं। तुम अपने विद्यालय की सम्पत्ति की देखभाल में क्या मदद कर सकते हो?

यातायात के साधनों की सुरक्षा

हमारे नागरिक जीवन में यातायात के साधनों जैसे कि रेलों, बसों, इत्यादि का बहुत महत्त्व होता है। हमारा देश इतना धनी नहीं है कि वह बहुत अधिक संख्या में रेलों, ट्रकों, बसों का निर्माण कर सके अथवा उन्हें खरीद सके। धनी देशों में भी, जहाँ इन साधनों की कोई कमी नहीं है, रेलों अथवा

चित्र 11 : सार्वजनिक सम्पत्ति हमारी सम्पत्ति है।

बसों की तोड़-फोड़ सहन नहीं की जाती। हमारे देश में तो इन साधनों की कमी है। अत: यह बहुत जरूरी है कि हम सब यातायात के साधनों की सुरक्षा की ओर पर्याप्त ध्यान दें।

कुछ समाज विरोधी लोग रेलों और बसों को नुकसान पहुँचाते हैं। कुछ लोग ब्लेड से बसों की सीटों को काट कर खराब कर देते हैं। कुछ लोग रेल की पटरियों को उखाड़ फेंकते हैं, जिससे बड़ी-बड़ी दुर्घटनाएँ हो जाती हैं। कुछ लोग रेल के डिब्बों में से चीजें चुरा लेते हैं। बिजली के पंखों और बल्बों के चोरी हो जाने से सभी यात्रियों को असुविधा होती है। रेलों और बसों को नुकसान पहुँचने से एक अच्छे नागरिक जीवन में बाधा उत्पन्न हो जाती है।

प्रतिदिन अनेक लोग अपने कार्यालयों या कारखानों में काम करने रेल या बस से जाते हैं। इसी तरह अनेक विद्यार्थी स्कूलों और कालिजों में पढ़ने के लिए रेल या बस से जाते हैं। यदि ये रेलें या बसें समय पर न चलें तो कार्यालयों, मिलों, कारखानों, स्कूलों और कालिजों का काम भी रुक जाएगा। बीमारों को समय पर डॉक्टरी सहायता भी नहीं मिल सकेगी।

यदि समय पर यात्रा न हो अथवा समाचार न मिले तो देश के व्यापार को भी क्षति पहुँचती है। रेलों में बहुत सा माल एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जाता है। रेल दुर्घटना होने पर दुकानदारों और जनता को समय पर माल नहीं मिल पाता। समय पर माल न पहुँचने से वस्तुओं की कमी हो जाती है और उनके दाम बढ़ जाते हैं। रेलों में अनाज भी एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जाता है। कई स्थानों पर सूखा या अकाल पड़ जाता है। ऐसी जगहों पर अनाज समय पर नहीं पहुँच पाता। परिणामस्वरूप अनेक लोग भूखे मर सकते हैं।

कई व्यक्ति डाकखाने के लेटरबक्सों को तोड़ डालते हैं। इससे लोगों को समय पर पत्र नहीं मिल पाते। मित्रों और संबंधियों को आवश्यक समाचार मिलने में देरी हो जाती है। सार्वजनिक सम्पत्ति को नुकसान पहुँचा कर हम देश को नुकसान पहुँचाते हैं। यदि नुकसान पहुँचाने वाले लोगों को अपने काम के बुरे परिणामों के विषय में मालूम हो जाए। तो शायद वे ऐसे काम कभी न करें।

(क) सरकार को एक बस खरीदने के लिए धन कहाँ से प्राप्त होता है?
(ख) क्या तुम अन्दाजा लगा सकते हो कि एक बस कितने रुपयों की आती है?
(ग) यदि एक बस को जला दिया जाए और इसकी नियमित सेवा रद्द कर दी जाए तो क्या होगा?

ऐतिहासिक स्मारकों की रक्षा

हमारे देश में जगह-जगह पर किले, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च पुराने महल इत्यादि हैं। इन सब पर हमारे पूर्वजों का काफी धन और श्रम लगा है। ये ऐतिहासिक

स्मारक हमें प्राचीन गौरव की याद दिलाते हैं। ये हमारे लिए कई तरह से उपयोगी भी हैं। इनसे हमें प्राचीन काल के विषय में महत्त्वपूर्ण जानकारी मिलती है।

इनकी सार्वजनिक उपयोगिता और ऐतिहासिक महत्त्व के कारण सरकार इनके संरक्षण पर पर्याप्त धन व्यय करती है। मूर्तियों, सिक्कों, तसवीरों और मानचित्रों की मदद से हम इतिहास के विषय में जानते हैं। लेकिन कुछ लोग इन ऐतिहासिक स्मारकों से मूर्तियों इत्यादि की चोरी करते हैं। कुछ लोग इन इमारतों पर अपने नाम लिख कर इन्हें खराब और गंदा कर देते हैं। हमारे देश में प्राचीन स्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष अधिनियम, 1958 के अन्तर्गत ऐसे व्यक्तियों को दंड दिया जा सकता है। हमारे देश में ऐतिहासिक स्थलों की संख्या बहुत अधिक है। अतः सरकार इन सब पर पूरी तरह और हर समय निगरानी नहीं रख सकती। अतः इन स्थानों की रक्षा के लिए हमें सरकार की यथासम्भव सहायता करनी चाहिए।

क्या तुम्हारे आस-पास कोई ऐतिहासिक इमारत है? वह कितने वर्ष पुरानी है? उसका निर्माण किसने कराया था? उसकी वर्तमान दशा कैसी है? क्या उसकी उचित देखभाल की जा रही है?

अन्य प्रकार की सार्वजनिक सम्पत्ति

सरकारी कार्यालयों, पंचायतघरों, ग्रामीण तालाबों, पेड़, पौधों, बिजली के खम्बों, टेलिफोन बूथों, राशन की दूकानों, उद्यानों, पुस्तकालयों, अजायबघरों इत्यादि का भी हमारे नागरिक जीवन में विशेष महत्त्व होता है। यदि सरकारी कार्यालयों को नुकसान पहुँचता है तो अनेक लोगों को असुविधा होती है। गाँव के सभी लोग पंचायतघरों, तालाबों और कुओं का प्रयोग करते हैं। इन्हें नुकसान पहुँचाने से सभी लोगों को नुकसान पहुँचता है।

कुछ लोग सार्वजनिक सम्पत्ति की तोड़-फोड़ क्यों करते हैं? इसके अनेक कारण हो सकते हैं। कुछ लोग अपने स्वार्थ के लिए राष्ट्रीय सम्पत्ति की चोरी करते हैं। कुछ अपने निजी जीवन की परेशानियों से तंग आ कर तोड़-फोड़ करने में लग जाते हैं। उन्हें इस काम में एक अद्भुत आनन्द मिलता है। कुछ समाज विरोधी तत्व अपनी माँगों को मनवाने के लिए तोड़-फोड़ करते हैं और हिंसा को बढ़ावा देते हैं। कारखानों में मजदूर, कार्यालयों में कर्मचारी, स्कूल और कालिजों में विद्यार्थी अपनी-अपनी माँगों को मनवाने के लिए आन्दोलन और हड़ताल करते हैं। ऐसे लोग भावनाओं में बह जाते हैं और सार्वजनिक सम्पत्ति को नुकसान पहुँचाते हैं। वे यह नहीं जानते कि अपनी माँगों को शान्तिपूर्वक भी मनवाया जा सकता है। हमारा देश आजाद है और हमारी अपनी

सरकार है। अतः अपनी माँगों को मनवाने के लिए हमें शान्ति का रास्ता ही चुनना चाहिए।

तुम पहले पढ़ चुके हो कि सामूहिक जीवन के लिए सभी के सहयोग की आवश्यकता होती है। सहयोग के आधार पर ही सार्वजनिक सम्पत्ति का निर्माण किया जाता है। सरकार नागरिकों से कर वसूल करके ही धन इकट्ठा करती है। लोगों के धन और श्रम से ही सार्वजनिक सम्पत्ति का निर्माण होता है। सार्वजनिक सम्पत्ति का उपयोग सभी व्यक्तियों द्वारा किया जाता है, अतः सार्वजनिक सम्पत्ति के नुकसान से सभी को नुकसान पहुँचता है। हमें चाहिए कि सार्वजनिक सम्पत्ति को अपनी सम्पत्ति समझें और सदा उसकी रक्षा करें। सार्वजनिक सम्पत्ति की रक्षा करना हमारा प्रथम कर्तव्य है।

कुछ करने को

1. अपनी कक्षा में एक पुस्तकालय समिति बनाओ। यह समिति पुस्तकालय अध्यक्ष अथवा सम्बद्ध अध्यापक से निम्नलिखित जानकारी प्राप्त करे:
   (क) प्रतिवर्ष लगभग कितनी पुस्तकें खरीदी जाती हैं?
   (ख) प्रतिवर्ष कितनी पुस्तकें खो जाती हैं?
   (ग) प्रतिवर्ष कितनी पुस्तकें खराब हो जाती हैं?

   कक्षा में इस विषय पर चर्चा करो। एक संक्षिप्त रिपोर्ट तैयार करो और उसे प्रधानाध्यापक के समक्ष रखो।

2. कल्पना करो कि स्कूल की छुट्टियों में तुम सपरिवार ट्रेन में यात्रा कर रहे हो। रास्ते में कुछ समाज-विरोधी तत्व ट्रेन को रुकवा देते हैं, कुछ यात्रियों को लूटते हैं और भाग जाते हैं। इस विषय पर एक संक्षिप्त नोट लिखो। यह भी बताओ कि इस स्थिति में तुम्हें किन-किन मुसीबतों और असुविधाओं का सामना करना पड़ा?

अभ्यास

1. सार्वजनिक सम्पत्ति किसे कहते हैं?
2. सार्वजनिक सम्पत्ति और निजी सम्पत्ति में क्या अन्तर है?
3. सार्वजनिक सम्पत्ति का नुकसान हमारा अपना नुकसान है। उदाहरण देते हुए समझाओ।
4. ऐतिहासिक स्मारकों का हमारे जीवन में क्या महत्त्व है? नागरिकों को इनकी सुरक्षा किस प्रकार करनी चहिए?

10
अध्याय

नागरिक संस्थाएँ और हमारा सहयोग

गाँवों और शहरों की बहुत-सी जरूरतें स्थानीय संस्थाओं द्वारा पूरी होती हैं। नागरिक जीवन को सुखी और समृद्ध बनाने में स्थानीय संस्थाओं का बहुत महत्त्व होता है। गाँवों और शहरों का नागरिक जीवन स्थानीय संस्थाओं पर निर्भर करता है। यदि स्थानीय संस्थाएँ ठीक तरह काम न करें तो वहाँ का नागरिक जीवन अस्त-व्यस्त हो जाता है।

स्थानीय संस्थाएँ हमारी अपनी संस्थाएँ हैं। हम इन्हें चुनते हैं। हम इनका निर्माण करते हैं। ये हमारे हित में काम करती हैं। अत: इन कार्यों में रुचि लेना और सहयोग देना हमारा मुख्य कर्तव्य है।

नागरिक बोध

नागरिक बोध का अर्थ होता है अपने अधिकारों और कर्तव्यों की जानकारी। प्रत्येक नागरिक को अपने अधिकार और कर्तव्यों की जानकारी होनी चाहिए। प्रत्येक अधिकार के साथ कर्तव्य जुड़ा होता है। अधिकार और कर्तव्य अलग-अलग नहीं किए जा सकते। उदाहरण के लिए, प्रत्येक बालक को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। माता-पिता और समाज का कर्तव्य है कि वे बच्चे की शिक्षा की समुचित व्यवस्था करें। शिक्षा पाने के अधिकार के साथ-साथ बच्चे का कर्तव्य भी जुड़ा हुआ है। प्रत्येक बच्चे का कर्तव्य है कि वह मन लगा कर शिक्षा प्राप्त करे। इसी प्रकार, प्रत्येक नागरिक को स्थानीय संस्थाओं से कुछ सुविधाएँ प्राप्त करने का अधिकार है जैसे कि पीने का पानी, बिजली की सुविधा, इत्यादि। लेकिन बिजली, पानी का उचित उपयोग करना, बिजली, पानी के बिल समय पर चुकाना प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य बनता है।

कोई भी स्थानीय संस्था नागरिकों की सहायता और सहयोग के बिना अपने कार्यों को ठीक ढंग से नहीं कर सकती। सड़कों की सफ़ाई का काम स्थानीय संस्था को ही देखना पड़ता है। हम सब का कर्तव्य है कि हम सड़कों पर कागज़, केले के छिलके और कूड़ा-करकट न फेंके। हमारे इस सहयोग से सड़कों को साफ़ रखने में बहुत मदद मिलती

है। स्थानीय संस्थाओं के कार्यों में रुचि लेना और उनके कार्यों में सक्रिय भाग लेना भी प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है।

> तुम्हारे मित्र ने तुम्हें पत्र में लिखा कि उसके शहर में अक्सर बिजली चली जाती है। अतः उसके पिताजी ने बिजली का बिल न देने का फैसला किया है। तुम इस बारे में उसे क्या सलाह दोगे?

मत का उचित उपयोग

स्थानीय संस्थाओं का चुनाव होता है और इस चुनाव द्वारा ही इन संस्थाओं में जनता के प्रतिनिधि चुने जाते हैं। प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है कि वह अपना मत अवश्य दे। मत उन्हीं व्यक्तियों को देना चाहिए जो जनता के हित में काम करने वाले हों। यदि हम अपना मत सही व्यक्ति को नहीं देते तो स्थानीय संस्थाएँ गलत लोगों के

चित्र 12 : मत का उचित उपयोग

हाथ में आ जाती हैं और फिर ये संस्थाएँ जनता के हित में काम नहीं कर पातीं। अत: यह बहुत जरूरी है कि हम अपने मत का सदुपयोग करें।

मत देने के बाद भी हमारी जिम्मेदारी खत्म नहीं हो जाती। हमें स्थानीय संस्थाओं के कार्यों पर नज़र रखनी चाहिए। यदि नागरिक जागरूक रहें और स्थानीय संस्थाओं के कार्यों में रुचि लें तो ये संस्थाएँ जनता के हित में अधिक काम कर सकेंगी।

कानूनों और नियमों का पालन

प्रत्येक स्थानीय संस्था अपने कार्यों को अच्छी तरह करने के लिए कुछ नियम और कानून बनाती है। इन नियमों को तोड़ने पर दंड दिया जाता है। हम सब को इन नियमों का पालन करना चाहिए। नियमों का पालन दंड के भय से नहीं, अपितु स्थानीय संस्थाओं की मदद के दृष्टिकोण से करना चाहिए। नियमों का पालन न होने पर अव्यवस्था फैल जाती है। गाँवों और शहरों में शान्ति और व्यवस्था बनाए रखने के लिए नियमों का पालन बहुत जरूरी है। बस स्टॉप या रेलवे स्टेशनों पर लोग लाइन में खड़े हो कर अपनी बारी की प्रतीक्षा करते हैं। यदि सभी लोग लाइन में खड़े न हो कर एक साथ खिडकी पर जमा होने की कोशिश करें तो बहुत गड़बड़ और अव्यवस्था उत्पन्न हो जाएगी। इससे सभी को असुविधा होगी।

सामाजिक जीवन के लिए नियमों का होना बहुत जरूरी है। ये नियम हमारी भलाई के लिए बनाए जाते हैं। यदि कोई व्यक्ति इन नियमों को तोड़ता है तो समाज को नुकसान तो पहुँचता ही है साथ ही उस व्यक्ति को भी कभी-कभी खतरा पैदा हो जाता है। उदाहरण के लिए, शहरों में सड़क पर चलने के कुछ नियम होते हैं। इन नियमों को तोड़ने पर किसी व्यक्ति की जान भी जा सकती है।

> तुम सडक पर चलते समय जिन नियमों का पालन करते हो उनकी एक सूची बनाओ। उन नियमों की भी सूची बनाओ जिनका तुम्हारे शहर के लोग उल्लंघन करते हों।

करों की अदायगी

हम सभी को यह याद रखना चाहिए कि स्थानीय संस्थाएँ हमारी भलाई और तरक्की के लिए बनाई जाती हैं। कोई भी संगठन बिना धन के नहीं चलाया जा सकता। स्थानीय संस्थाएँ कर वसूल करके धन इकट्ठा करती हैं। करों के धन से ही हमें कई प्रकार की नागरिक सुविधाएँ प्राप्त होती हैं। अत : प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है कि वह समय पर करों का भुगतान करें।

अनुशासन और सहयोग

तुम पहले ही पढ़ चुके हो कि मनुष्य के जीवन की सुरक्षा और प्रगति के लिए कई संस्थाओं की आवश्यकता पड़ती है। परिवार, स्कूल, स्थानीय संस्थाएँ, राज्य तथा केंद्र

सरकार इत्यादि नागरिक जीवन के विकास के लिए कार्य करती हैं। इन संस्थाओं में आवश्यकता के अनुसार परिवर्तन भी किए जाते हैं। यह हमारा कर्तव्य है कि हम इन संस्थाओं में विश्वास रखें। लेकिन इसके लिए अनुशासन का होना बहुत जरूरी है। हमें अपने व्यक्तिगत और नागरिक जीवन में अनुशासन का पालन करना चाहिए। अनुशासन के बिना नागरिक जीवन और उसके साथ स्थानीय संस्थाएँ अव्यवस्थित हो जाती हैं और देश की प्रगति रुक जाती है।

अनुशासन का अर्थ है नियमों और कर्तव्यों का निष्ठापूर्वक पालन करना। आज हमारे देश को ऐसे नागरिकों की आवश्यकता है जो अपना काम समय पर करें और ठीक ढंग से करें। हमारे अनुशासन से स्थानीय संस्थाओं को बल मिलता है। अनुशासन से ही हम इन संस्थाओं को अधिक सहयोग दे सकते हैं।

यदि तुम्हारे गाँव अथवा शहर में स्थानीय संस्था द्वारा लिए गए किसी विशेष निर्णय का विरोध करने के लिए सार्वजनिक सभा बुलाई जाती है, तो क्या तुम इस क्रिया को अनुशासनहीनता मानोगे अथवा नहीं? क्यों?

अभ्यास

1. 'नागरिक बोध' को दो उदाहरण देकर समझाओ।
2. हमें किस प्रकार के व्यक्ति को मत देना चाहिए?
3. एक नागरिक को कर क्यों देने चाहिएँ?
4. हम स्थानीय संस्थाओं को किस प्रकार सहयोग दे सकते हैं?

परिशिष्ट

अंध विश्वास : उन बातों में विश्वास रखना जिनका किसी भी प्रकार के तर्क से तथा वैज्ञानिक विचार धारा से संबंध न हो। उदाहरण के लिए माता के मठ की पूजा करने से चेचक का रोग नहीं होगा।

अनुसूचित जाति : भारतीय समाज में कुछ ऐसी जातियाँ हैं जो आर्थिक, सामाजिक तथा शिक्षा की दृष्टि से पिछड़ी हुई हैं। ऐसी जातियों का उल्लेख भारतीय संविधान में है। इन जातियों के उत्थान के लिए केन्द्रीय तथा राज्य सरकारें, विशेष सुविधाएँ प्रदान करती हैं।

अनुसूचित जन-जाति : ऐसी जातियाँ; जो भारत के भिन्न-भिन्न भागों में दूर-दराज के गाँवों में रहती हैं तथा आर्थिक और सामाजिक दृष्टि से पिछड़ी हुई हैं। इन जन-जातियों को विकास की अधिक से अधिक सुविधाएँ तथा सहयोग दिया जा रहा है।

एल्डरमैन विशिष्ट सदस्य : नगर निगम के वे सदस्य, जिन्हें किसी प्रकार की विशेष दक्षता के कारण, निगम के सदस्यों द्वारा चुना जाता है।

कर : सभी प्रकार की सरकारों को अपने कार्यों को चलाने के लिए धन की आवश्यकता होती है। सरकारें इस धन को नागरिकों से 'कर' के रूप में वसूल करती हैं। जैसे शहरों में मकानों पर लगाया जाने वाला कर। कुछ प्रकार की वस्तुओं पर 'बिक्री कर' लगाया जाता है। विदेशों से आने वाले माल पर कर लगाया जाता है। आय पर भी कर लगाया जाता है। इस प्रकार के भिन्न-भिन्न करों द्वारा सरकारी खर्चों के लिए धन इकट्ठा किया जाता है।

दीवानी मुकद्दमें : ऐसे मुकद्दमें जिनका संबंध जमीन, मकान, रुपए के लेन-देन आदि को लेकर होता है। इन मुकद्दमों का संबंध मारपीट या शारीरिक चोट पहुँचाने से नहीं होता।

नागरिक सेवाएँ : स्थानीय संस्थाओं, जैसे ग्राम पंचायत, नगरपालिका तथा नगर निगम द्वारा स्वास्थ्य, शिक्षा, पीने के पानी आदि के द्वारा दी गई सेवाएँ।

फौज़दारी मुकद्दमें: वे मुकद्दमें जिनका संबंध, चोरी, डकैती, आगजनी तथा किसी भी प्रकार की शारीरिक अथवा मानसिक यातना देने से होता है।

बंधुआ मजदूरी : यह एक प्रकार की रुपया उधार लेने वाली प्रथा है। इसके अंतर्गत रुपया उधार लेने वाला व्यक्ति रुपया उधार देने वाले व्यक्ति का बंधक बन जाता है। जब तक वह उधार का रुपया न चुका दे, उसे तब तक बंधक के यहाँ हर प्रकार की मजदूरी और काम के लिए तैयार रहना पड़ता है। इस प्रथा में एक बार फंस जाने वाला व्यक्ति, पीढ़ी-दर-पीढ़ी का बंधुआ मजदूर बन जाता है। यह प्रथा अब भारतीय संसद द्वारा पारित 1977 के अधिनियम द्वारा समाप्त कर दी गई है।

वयस्क मताधिकार : किसी भी देश के वह निवासी, जिन्हें आयु के आधार पर मत देने का

अधिकार प्रदान किया जाता है। उदाहरण के लिए, भारत के लगभग उन सभी नागरिकों को जो 21 वर्ष या उससे अधिक आयु के हैं वयस्क मताधिकार प्राप्त हैं। कुछ देशों में 18 वर्ष की आयु के नागरिकों को भी मत देने का अधिकार प्राप्त है।

समाज : व्यक्तियों का वह समूह जो एक साथ सौहार्दपूर्ण वातावरण तथा मैत्रीय सम्बन्ध में बंधा होता है। यह समूह संख्या में छोटा और अति बड़ा हो सकता है। इसमें किसी भी मोहल्ले, गाँव, शहर तथा देश के व्यक्ति सम्मिलित हो सकते हैं।

सामुदायिक विकास कार्यक्रम : गाँवों के संपूर्ण विकास के लिए चलाया जाने वाला कार्यक्रम। इस कार्यक्रम के द्वारा ग्रामीण निवासियों को सिंचाई, बिजली, सड़कों, चिकित्सालयों, शिक्षा आदि की व्यवस्था की जाती है।